

Legislation / Rules and General Information of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council)

(1) Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) : -

The Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) is a social organization. As the name suggests, this organization has been designed to fulfill the objectives of reaching the governance administration of the common people with the help of the government for the prevention of human rights violation and human rights abuses. The basic aim of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) is to spread the maximum rights of human rights protection. By which the common public can know their rights and when the common public is aware of their rights and social justice, then the common masses of the country will be able to enjoy a happy life, which will maintain a happy atmosphere in the country and society. For small things, the chowki / police station and the court will not go to the shelter. Even the national unity and brotherhood will be established in the country. This will give message of humanity not only in entire India but all over the world. Only then will the name of our country be illuminated. Establishing national unity by working in social interest at national and international level is our ultimate objective. Several different cells have also been formed in view of various aspects of society in the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council). All the cells are nurtured and empowered by the Council's legislation, similar to the main council. In addition to the founding members, the founder of the National President / Acting President / National Convener / National Protector (who will not be elected) apart from this, the tenure of all the office bearers has been kept for 1 years. Those who can be reduced or enhanced by looking at the time and circumstances. This Council has been created by being motivated by service. Nobody is nominated in this council with other influence, if any such officer is found, by doing so, after getting the notification, he can end his membership with immediate effect and appropriate action can be taken against him.

(2) Goals and Objectives : -

The Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) holds true integrity, commitment and faith in the Constitution of India. With the inspiration from the ideals of the Father of the Nation, freedom fighter Mahatma Gandhi, constitutionalist Dr. Bhimrao Ambedkar, Mother Teresa, former judge Swapnavis Bhagwati, all rights such as human rights, child rights, women's rights, which are described in the Constitution, democracy, secularism and Trusts in socialism. And the belief of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) In which the general public can be aware, propagate education, peace and prosperity with their rights. The Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) recognizes the right to protest in a peaceful and

democratic way. This includes satyagraha and peaceful protest. Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) will maintain true faith and integrity to the Constitution of India established by the law and will impede the principles of embedded human rights, socialism, secularism and social justice. The Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) will maintain India's sovereignty, unity and integrity as integral.

(3) Is the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) registered?

Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) Registered organization under the Indian Trust Act 1882, whose registration number is 16/2015 & 67/2018, Unique ID issued by the Policy Commission of the Government of India is UP / 2018/0199150, Registration number UAN NO.UP50D0015583, AN ISO 9001:2015 Certified Organization also affiliated with World Association of NGO USA, UNO Consultative Status (ECOSOC)&Member Of Quality Council Of India CORP/NGO/6512/2019-20

The objective of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) is to stop corruption or save corruption, will maintain a new precedent. Because eradicating corruption is to create a new India. The office bearers of the organization will not compromise on corruption at any cost, all the members of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) are part of the organization.

(4) How to Become a Member:

Every member who joins the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) can fill up the Complete Online Application Form along with the initial fee of Rs 525 / - for the membership fee. But it is compulsory for every primary member to deposit monthly fee of Rs 10 / - per month. Otherwise the subscription will end automatically. The membership co-operation is directly funded by the bank account of the Organization (Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council)). Under the supervision of the Founder / National President, the Central Committee Office, Operations, Research, Human Rights Awareness Campaign, Human Rights Education, Free Legal Advice, Writing And in the peaceful demonstration movements for the gathering, of the gathering and rights, the expenditure in exhibitions etc. It will.

(5) Participation of the contribution amount and fee per member, Rs 10 / - per month Rs. 02 / - Local Committee, Rs. 02 / - in the District Committee, Rs. 02 / - in the State Committee and Rs. 04 / - (Balance The amount) is divided into the Center Committee / National Committee.

(6) In order to obtain the introduction letter of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), the identity card is issued after completing the Complete Online Application Form, which will be valid for one year.

Note: - For the initial members of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) Organization only Rs 525 is the same.

(7) Receiving donations and assistance for the development of the organization. In spite of being a member of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), if any donor gentleman wants to contribute, he can send receipt by depositing the amount in the concerned account of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) and sending the copy of the head office of the depositor. This amount will be used in the interest of the society and the entire details will be made public before the core committee will be required.

(8) The executive committee of the Council will work with the objective of promoting human rights protection in the whole of India and preventing the violation of human rights. This can provide social, administrative and government benefits to the needy and the society's needs. For which by the National President of the organization from the National Executive to the Gram Panchayat level the functioning of the cells as well as the need were formed, which is as follows.

The National Executive is as Follows:-

01. National President: - The Acting President appointed by the founder.
02. National Protector Four Post
03. National Sr.Vice President Two Post
04. National Vice President Five Post.)
05. National Convener One Post.
06. National Incharge One Post.
07. National Chief General Secretary One Post
08. National General Secretary Four Post.
09. National Secretary Eight Post.
10. National Organization Secretary Four Post
11. National Legal Advisor Four Post.
12. National Chief Advisor One Post.
13. National Advisor Four Post.
14. National Treasurer One Post.
15. National P.R.O. One Post
16. National Spokesperson Four Post.
17. National Media In-charge Four Post.
18. National Executive Member as Required.
19. Lifetime Members & Special Invitees as Required.

Zonal Executive:-

01. Zonal President: -(Below appointments are made by The President)
02. Zonal Protector Four Post
03. Zonal Sr.Vice President Two Post
04. Zonal Vice President Five Post.
05. Zonal Convener One Post.
06. Zonal Incharge One Post.
07. Zonal Chief General Secretary One Post
08. Zonal General Secretary Four Post.
09. Zonal Secretary Eight Post.
10. Zonal Organization Secretary Four Post
11. Zonal Legal Advisor Four Post.
12. Zonal Chief Advisor One Post
13. Zonal Advisor Four Post.
14. Zonal Treasurer One Post.
15. Zonal P.R.O. One Post
16. Zonal Spokesperson Four Post.
17. Zonal Media In-charge Four Post.
18. Zonal Executive member as required.
19. Lifetime Members & Special Invitees as Required.

State Executive:-

01. State President: - - (Below appointments are made by The President)
02. State Protector Four Post
03. State Sr. Vice President Two Post
04. State Vice President Five Post.
05. State Convener One Post.
06. State Incharge One Post.
07. State Chief General Secretary One Post
08. State General Secretary Four Post.
09. State Secretary Eight Post.
10. State Organization Secretary Four Post
11. State Legal Advisor Four Post.
12. State Chief Advisor One Post
13. State Advisor Four Post.
14. State Treasurer One Post.
15. State P.R.O. One Post
16. State Spokesperson Four Post.
17. State Media In-charge Four Post.
18. State Executive member as required.

19. Lifetime Members & Special Invitees as Required.

Zone/Mandal Executive:-

01. Zone President: - (Below appointments are made by the State President)
02. Zone Protector Zero Post
03. Zone Sr. Vice President Zero Post
04. Zone Vice President Three Post.
05. Zone Convener One Post.
06. Zone Incharge One Post.
07. Zone Chief General Secretary Zero Post
08. Zone General Secretary One Post.
09. Zone Secretary Two Post.
10. Zone Organization Secretary One Post
11. Zone Legal Advisor Four Post.
12. Zone Chief Advisor Zero Post
13. Zone Advisor One Post.
14. Zone Treasurer One Post.
15. Zone P.R.O. One Post
16. Zone Spokesperson One Post.
17. Zone Media In-charge One Post.
18. Zone Executive member as required.
19. Lifetime Members & Special Invitees as Required.

District Executive:-

01. District President: - (Below appointments are made by the Zone President)
02. District Protector Zero Post
03. District Sr. Vice President Zero Post
04. District Vice President Two Post.
05. District Zone Convener One Post.
06. District Incharge One Post.
07. District Chief General Secretary Zero Post
08. District General Secretary One Post.
09. District Secretary One Post.
10. District Organization Secretary One Post
11. District Legal Advisor One Post.
12. District Chief Advisor Zero Post
13. District Advisor One Post.
14. District Treasurer One Post.
15. District P.R.O. One Post
16. District Spokesperson One Post.
17. District Media In-charge One Post.

18. District Executive member as required.
19. Lifetime Members & Special Invitees as Required.
20. Volunteer Member.

Tehsil / Block / City /Town/

Executive:-

01. Tehsil / Block / City /Town/ President One Post.
02. Tehsil / Block / City /Town/ Vice President Two Post.
03. Tehsil / Block / City /Town/ Convener One Post.
04. Tehsil / Block / City /Town/ Incharge One Post.
05. Tehsil / Block / City /Town/ General Secretary One Post.
06. Tehsil / Block / City /Town/ Secretary Two Post.
07. Tehsil / Block / City /Town/ Organization Secretary Two Post.
08. Tehsil / Block / City /Town/ Legal Advisor One Post.
09. Tehsil / Block / City /Town/ Treasurer One Post.
10. Tehsil / Block / City /Town/ Media In-charge One Post.
11. Tehsil / Block / City /Town/ Executive Member As Required.
12. Volunteer Member As Required.

Gram Panchayat

Executive:-

1. Gram Panchayat President One Post.
2. Gram Panchayat Vice President One Post.
3. Gram Panchayat Secretary One Post.
4. Gram Panchayat Treasurer One Post.
5. Gram Panchayat General Member As Required.

The following Cells of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) are constituted.

1. Minority Cell
2. Women Cell
3. Legal Cell
4. Youth Cell
5. R.T.I Cell
6. OBC Cell
7. SC / ST Cell.
8. Teacher Cell.
9. Medical Cell

- 10. Media Cell
- 11. Student Cell

Note: As mentioned above, the executive of the office bearers of national, zone, region, divisional, district, Tehsil, block, city and village Panchayat will remain in line with the main executive. There will be a national president of each cell in the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council), which will directly serve under the leadership of the Founder / National President. The zonal presidents mentioned above will see the work of states coming in their respective zones. Simultaneously, every state will directly direct the national president to its organizational activities, while on the other hand the state in charge and the state president will direct their zonal President to the direct reporting of social and organizational activities of their state. In certain subjects, any member of the Council can do direct reporting to him on the instructions of the National President. This rule will be enforced separately for the main council and each of its cells so that the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) can make its social service smoothly.

Welcome to the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council): -

The Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) is a social trust registered under the Indian Trust Act 1882. This is a non-governmental, non-political national organization. Our task is to make people aware of society and reach their governance administration. The national president and its authorized officer have the right to make / renew / cancel only a new member. For any post / post / member, any National Officer / Zonal Officer / State President or State Officer / Board President / Officer / District, Nagar, Tehsil Block, President or Officer give you honorary letter or ID card then letter / ID card Please inform your letter and ID number or whatsapp on the member who is taking these numbers, [09454110126](tel:09454110126), [09794100006](tel:09794100006), [8802752786](tel:8802752786), or mail. In order to verify the member's letter and identity card. Since no card letter can be issued fake and kept closely monitored.

Organising By Core Committee Advisory Board:-

For this, one core committee has been constituted by the founder / national president of the organization to solve the problems of the organization's officials, including a chairman, one vice president, one secretary, and eight special invitees. Along with this, an advisory board has been formed in consultation with one President, one vice president, one secretary and 18 special invitees. All these Officers and members will work under the direction of the President. And send the report to the National President on which the final decision will be made by the Chairman of the National Council and the Core Committee and the Chairman, Advisory Board, Vice President, Secretary and National Legal Advisor.

Note: Only the office bearers / members whose names are on the organization's website are our office bearers / members. (Organization and Newspaper related to the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), International Human Security and Justice Council, World Muslim Board, All India Press Council, Indian Voters Awareness Association, All India Muslim Conference, Indian accredited press conference, Anti-terrorism and anti-corruption organization, Media Times , Lucknow, independent format. The objectives of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) Family Council The fifth installment day will be celebrated on 02.02.2019 with successful discharge, it will be the fifth consecutive establishment day of the Council. Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) Organization respects all religions. No one can discriminate against others, people of all religions believe in their own religions Therefore, the people of all religions wish the best wishes of all the national festivals such as Holi, Eid, Bakrid, Deepawali, Chhath, because celebrating all the festivals with love introduce national unity with the brotherhood.

Subscription Fees / Collaboration and Donation Money.

Deposit any kind of transaction or membership fee only in the account of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council). The organization will not be responsible for any kind of cash transaction. India will go ahead only when India become cashless For more information, contact: - [09454110126](tel:09454110126), [09794100006](tel:09794100006).

Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council): -

The Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) seeks to create a school for old age / old school for the elderly for social development, so that the people of the society can be benefited by the people who fall under the category of poor and helpless people. And the fourth pillar of democracy i.e. our speculative journalist brothers risk their lives and collect the news from which the general public gets information about the news of the country's abroad. For those jamb rear journalists, the Press Club at the district level has been our duty is. Therefore, any collaborator can work for the work of this holy work, land or construction material or money-money from the old age home / school / Dharamshala / Free legal aid center (from which every movement will be fought by the lawyers of the Free Legal Action Organization. The Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) is making every possible effort to provide these services at the district level so as to provide assistance to all those people.) In this work by donating in the creation of the Esc Club, the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) will celebrate this work. Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) will launch a free service to society for the distribution of oxygen, cylinder, daughter, vessel, valley, mattress, pillow, sheet, bicycle and accessories which are used for society. Anyone who wants to cooperate with it, can contact the head office and receipt acknowledgment will also be

given. Support the Council in the social work of the council and enjoy the joy of serving. The name of the donor and donor will be mentioned in the donor board. Donations on-line, transfer, check, draft will be admissible only in the name of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council). For more information, contact: - 09454110126 09794100006, 8802752786
Email ID: - vmpgov.np@gmail.com, vmpgov.786@gmail.com.

The Responsiveness of Each Executive Will be as Follows: -

National President and his national executive at the national / central level, zonal level zonal chairman and his zonal executive, state president at state level and his state executive, divisional chairmen and his executive at the divisional level, District President and his executive at district level; Apart from each Tehsil / Block / City and Gram Panchayat level, Chairman and his Executive Will be formed. This rule will also apply in all the cells.

(9) The Division of Posts in Each Level Committee or Executive is as Follows: -

01. National President: - The Acting President appointed by the founder.
02. National Protector Four Post
03. National Sr. Vice President Two Post
04. National Vice President Five Post.
05. National Convener One Post.
06. National Incharge One Post.
07. National Chief General Secretary One Post
08. National General Secretary Four Post.
09. National Secretary Eight Post.
10. National Organization Secretary Four Post
11. National Legal Advisor Four Post.
12. National Chief Advisor One Post.
13. National Advisor Four Post.
14. National Treasurer One Post.
15. National P.R.O. One Post
16. National Spokesperson Four Post.
17. National Media In-charge Four Post.
18. National Executive member as required.
19. Lifetime members and special invitees as required

(10) At present, the following cells are functioning under the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council): -

1. Minority Cell

2. Women Cell
3. Legal Cell
4. Youth Cell
5. R.T.I Cell
6. OBC Cell
7. SC / ST Cell.
8. Teacher Cell.
9. Medical Cell
10. Media Cell
11. Student Cell

(11) **Important Rules Of the Council**

Posters / banners / flaxes in any programs of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), it is compulsory to place the photographs of Honorable National President and other senior officials at a respectable place, along with the Council website www.vmpgov.com.

01. To make the work of the organization of the World Human Rights Organization run smoothly and reach the governance of the common people and to make the society fear-free, crime free from time to time, the formation of posts and cells as necessary and the circumstances under time As per the requirement, the posts and cells can be dissolved, or for specific reasons, the cell or the executive will not notice These can be dissolved. This right is only to the founder / national president.

02. In general, the national president should recommend the list with the list of 30 to 45 days or last 90 days after the nomination of the different level chairperson or the concerned officer, with the list of his executive body constituted. If this is not the case then his nomination will be considered abrogated and may appeal to the new chairman or the concerned officer, but the concerned officers can be nominated for the formation of the new chairman executive. Presidents or other office bearers of various levels who have been entrusted with the responsibility of executive formation. If the executive is not constituted or not informed in the time given by him. Then, in their place, they can be appointed without any information or any other person published.

03. In India, the state or place where the executive is not formed, the in-charge is appointed in the council or outside, for whose work the name of the right person will be given to the national president for the post of president.

04. The rules may be amended from time to time by the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), as required, whose copyright is protected by the National President / Founder President.

05. If any of the officials or members of the council, by any kind of illegal acts, do any work of damaging or harming any national heritage of the country or any person for spreading the atmosphere of hatred or unrest in the society for any crime. Will be responsible for it. For this, the national president or other members of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) will not be held liable. And any such crime or act is done or proved, even if the person's organization is not informed or not, the person's organization will be considered to be expelled / discharged automatically.

06. Any current or former office bearer, member, worker, initial / ordinary member or other person, if litter pad, seal, ID card etc. of the Council are misused then legal action will be taken against him. If any person performs any action in any way by the social media, oral / written etc. in order to disturb any person of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) unnecessarily harassed, harassed, defamed, or imitated the image. Then a dispute can be filed before the court in front of him. And he will be responsible for the necessary legal proceedings. And the expenses incurred in this legal proceeding will be borne by him.

07. There is no election of the National President (founder president) in the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council), except for the national president, the full authority to nominate or remove the office bearer of any level or office of any post is only to the National President. And the national president can entrust special assignment to any of them. However, any official or member may be discharged immediately after completion of his term or in the meantime being found guilty of misconduct or any offense.

(12) **Rules of Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council): -**

01. **Name of Organization: - Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council).**

02. **Definition of Membership:**

Any Indian person can become a member of it. Any person who wants to serve unselfishly in the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council), and the clean image, no court of India has been penalized and at the same time no criminal prosecution is registered in any police station, and no one Not to be a member of a banned organization, as well as to promote the development of the nation, human rights education, and promotion of human rights protection and social work. Members of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) can be prepared to comply with the fundamental sentiment and ideology and constitution of the Council and follow the agreed area.

03. Entry And Qualifications For Membership: -

No merit is fixed. It is at the discretion of the President / Incharge. But according to the topics of the original organization and its cells.

04. Membership Support Amount: -

All persons joining the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) Organization are obliged to pay the membership fee according to the rules of the organization.

Fees Details For All Posts .

National Executive .

01. National President: 11000/Only
02. National Protector: 101/Only
03. National Sr.Vice President:7500/only
04. National Vice President:7000 / Only
05. National Convener :11000/Only
06. National Incharge:11000/Only
07. National Chief General Secretary:11000/Only
08. National General Secretary:8500/Only
09. National Secretary:7500/Only
10. National Organization Secretary:6500/Only
11. National Legal Advisor : 101/Only
12. National Chief Advisor: No Post Vacant
13. National Advisor:5100/Only
14. National Treasurer :6500/Only
15. National P.R.O.:6500/Only
16. National Spokesperson:6500/Only
17. National Media In-charge:6500/Only
18. National Executive Member 5100/Only
19. Lifetime Members 2100/
20. Special Invitees Member 2100/ Only

Zonal Executive:-

01. Zonal President: 7500/Only
02. Zonal Protector: 101/Only
03. Zonal Sr.Vice President:5100
04. Zonal Vice President:5100/Only
05. Zonal Convener:7500/Only
06. Zonal Incharge:7500/Only
07. Zonal Chief General Secretary :7500/Only

08. Zonal General Secretary:5100/Only
09. Zonal Secretary:4100/Only
10. Zonal Organization Secretary:4100/Only
11. Zonal Legal Advisor: 101/Only
13. Zonal Advisor:4100/Only
14. Zonal Treasurer:2100/Only
15. Zonal P.R.O.:4100/Only
16. Zonal Spokesperson:2100/Only
17. Zonal Media In-charge:2100/Only
18. Zonal Executive Member: 1100/Only
19. Lifetime Members:2100/ Only

State Executive:-

01. State President: 7500/Only
02. State Protector: 101/Only
03. State Sr.Vice President:4100/Only
04. State Vice President:4100/Only
05. State Convener:5100/Only
06. State Incharge:5100/Only
07. State Chief General Secretary:5100/Only
08. State General Secretary:4100/Only
09. State Secretary:3100/Only
10. State Organization Secretary:3100/
11. State Legal Advisor: Nil101/Only
13. State Advisor : 3100/Only
14. State Treasurer:2100/Only
15. State P.R.O.3100/ Only
16. State Spokesperson 2100/Only
17. State Media In-charge:2100/Only
18. State Executive Member 1100/Only
19. Lifetime Member:2100/Only
20. Special Invitees Member:1100/Only

Zone/Mandal Executive:-

01. Zone President:2100/Only
02. Zone Protector: 101/Only
03. Zone Sr.Vice President:2100/Only
04. Zone Vice President:2100/Only
05. Zone Convener:2100/Only
06. Zone Incharge:2100/Only
07. Zone Chief General Secretary:2100/Only
08. Zone General Secretary:2100/Only
09. Zone Secretary:2100/Only
10. Zone Organization Secretary :2100/Only

11. Zone Legal Advisor: 101/Only
12. Zone Advisor:2100/Only
13. Zone Treasurer:2100/Only
14. Zone P.R.O.2100/Only
15. Zone Spokesperson:2100/Only
16. Zone Media In-charge:2100/Only
17. Zone Executive Member:1100/Only
18. Lifetime Member :2100/Only

District Executive:-

01. District President:1100/Only
02. District Protector: 101/Only
03. District Sr.Vice President: 1100/ Only
04. District Vice President:1100/ Only
05. District Zone Convener:1100/Only
06. District Incharge:1100/Only
07. District Chief General Secretary:1100/Only
08. District General Secretary:1100/ Only
09. District Secretary:1100/ Only
10. District Organization Secretary:1100/ Only
11. District Legal Advisor 101/Only
12. District Advisor:1100/ Only
13. District Treasurer:1100/ Only
14. District P.R.O.:1100/ Only
15. District Spokesperson:1100/ Only
16. District Media In-charge:1100/ Only
17. District Executive Member:525/Only
18. Volunteer Member: 101/Only

Tehsil / Block / City /Town/

Executive:-

01. Tehsil / Block / City /Town/ President:750/Only
02. Tehsil / Block / City /Town/ Vice President:750/Only
03. Tehsil / Block / City /Town/ Convener:750/Only
04. Tehsil / Block / City /Town/ Incharge :750/Only
05. Tehsil / Block / City /Town/ General Secretary:750/Only
06. Tehsil / Block / City /Town/ Secretary:750/Only
07. Tehsil / Block / City /Town/ Organization Secretary:750/Only
08. Tehsil / Block / City /Town/ Legal Advisor101/Only
09. Tehsil / Block / City /Town/ Treasurer:750/Only
10. Tehsil / Block / City /Town/ Media In-charge:750/Only
11. Tehsil / Block / City /Town/ Executive Member:250/Only
12. Volunteer Member:101/Only

Gram Panchayat

Executive:-

1. Gram Panchayat President:525 /Only
2. Gram Panchayat Vice President:525/Only
3. Gram Panchayat Secretary:525/Only
4. Gram Panchayat Treasurer:525/Only
5. Gram Panchayat General Member 150/Only

As above.

1. Minority Cell
2. Women Cell
3. Legal Cell
4. Youth Cell
5. R.T.I Cell
6. OBC Cell
7. SC / ST Cell.
8. Teacher Cell.
9. Medical Cell
10. Media Cell
11. Student Cell

Note: In order to be found acting against the rules of the organization or being indulged in a serious charge, the national president can cancel the membership with immediate effect, freeing him from the post.

(13) In any dispute, the jurisdiction will be Lucknow.

(14) Some of the important and general information of Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) and related organization / cell has been displayed here. From the point of view of the Council's rule (1) to (14) which is displayed here, will be applicable to all the organizations / cell affiliated to the Council and the Council. The full rules of the council, information of the bye-laws and members of the sub-office can be seen in the head office on the working day.

What Are Human Rights :

Human rights refer to all those rights which are related to the common man's life, liberty, equality and prestige. This right has been described in the name of basic rights in Part III of the Indian Constitution and is enforceable by the court. Apart from this, rights which have been accepted by the General Assembly of the United Nations as a result of the international agreement and are enforceable by the courts of the country, are called human rights. These rights include the right to live in a pollution free environment, rights related to non-torture and abusive behavior in custody, and the right to practice with women.

Rights Obtained Regarding The Investigation Work: -

While examining any complaint under the Act, all the rights of the Civil Court are obtained under the Civil Procedure Code-1908 of the Commission. The right to specifically summon the concerned party and the witnesses to summon and to force them to appear in front of the Commission and to take an oath, to give an order to find and present a document, testify on oath. The right to take and the right to demand a copy of a government record or copy thereof from any court or office, witnesses or documents Right to issue commission for checking The commission also has a police research team through which the cases are examined.

Functions of the Human Rights Commission in Uttar Pradesh:

Under the Human Rights Protection Act-1993, the following functions will be done by the Uttar Pradesh Human Rights Commission: -

1. If the complaint is made by self or by victim or by someone else on behalf of a person requesting a petition, that, by a government servant, human rights have been abusive or motivated to do so or he has prevented such a crime If you are ignored, then investigate such complaints.
2. In the case of the violation of human rights in a court, taking part in the proceedings of such a matter with the approval of the relevant court.
3. In order to study the residential conditions of the residents of any institute under the control of a prison or state government, where people are restricted or restricted to medical reform or safety, inspect and inspect them. Give your suggestions.
4. Reviewing the safeguards provided for protection of human rights by the Constitution and any other law, and suggesting in relation to their effective implementation.
5. Reviewing terrorism and all such activities, which interfere with the consumption of human rights and suggest remedies for their redress.
6. Holding and promoting research related to human rights.
7. To spread awareness about human rights related education in different sections of society and raise public awareness about human rights related measures through publications, communication channels and seminars and other available resources.
8. Providing support to NGOs and institutions in the field of protecting or empowering human rights, which protect the rights of the general public.

with best wishes

**Dr. M. R. Ansari (LL.M.)
Founder / National President**

Universal Declaration of Human Rights by the United Nations: -

Foreword:

The Universal Declaration of Human Rights was announced on December 10, 1948, and the General Assembly accepted it. Extraordinary insights and determination of its drafters gave a document that first set universal human rights in a personal context for all people. Now available in more than 360 languages, this announcement is the world's most translated document. This is a proof of the universal nature and reach. It has inspired many new independent nations and new democracies. It has become a parameter through which we know what is wrong or right, we should know, we should know, it is our duty to ensure that this right becomes a living reality that all the people of all places will be easily Understand and can benefit from it. Those who are most concerned about the safety of their rights should also be told that this announcement has come into existence and is for them. 71st anniversary of acceptance of this declaration will be seen for all of us. There is an opportunity to be re-dedicated. It is still as relevant as it was on the day of its acceptance. I hope you will make it a part of your life.

**Ban-Ki-Moon
General Secretary**

INTRODUCTION:

It is difficult to imagine today how the universal declaration of human rights will be a symbol of fundamental change when it was adopted 60 years ago. A declaration confronting the universal and dutiful love before equality in all human beings, inherent in the world of broken and disorganized world with horror and inequalities from the fearsome colonization of the demolition after the war, a bold and bold pledge It was such, whose success was not sure. It has become a major framework for the protection of all the basic liberties which we are official. The same fact is a tribute to the philosopher's manifestation of declaration and also to all those human rights defenders who have struggled to make this philosophy a reality for more than six decades. This conflict will go far and it also has the power to declare. It is a living document that will inspire future generations.

**Louis Arbor,
High Commissioner for Human
Rights.**

Universal Declaration of Human Rights:

On December 10, 1948, the United Nations General Assembly approved and declared the Universal Declaration of Human Rights. Only after the historical work, the assembly has appealed to all member countries, they propagate this declaration, and without considering the discrimination based on the political situation of countries or territories, especially in schools and other educational institutions, its publicity, exhibition and reading Arrange interpretation. The official text of this announcement is available in these five languages of the respective nations, English, Chinese, French, R Prissy and Spanish The text of the translation here is approved by the Government of India.

INTRODUCTION:-

Because the acceptance of the birth status and uninterrupted authority of all the members of the human family is the foundation of world peace, justice and freedom. Because of the disregard and hatred of human rights, such acts of barbarism have been harassed by human beings, because of the establishment of such a world order in which people will be free from expression and freedom of religion and fear and lack, the highest aspiration for the masses has been declared. Since it is compulsory to understand that if people are against being forced to rebel against injustice and oppression, then it is mandatory to protect human rights by the rule of law. Because it is necessary to increase friendship relations among the nations, because in the basic human rights of the members of the member countries of the member countries, in the reputation of the human personality and their rights in equal rights of male and female, it has been repeated in the charter and it was decided. That is to increase the social progress and better level of living for greater widespread independence. Because the member countries have pledged that they will increase universal respect for human rights and fundamental freedoms in collaboration with the cooperative Nation. As it is to understand the nature of these rights and freedoms in order to fully fulfill this pledge more important, therefore, now the General Assembly declares that this universal proclamation of human rights is shared by all the countries and all the people. It is believed that with the aim of every individual and every part of society, keeping this declaration in persistent view, efforts will be made by education and education that the spirit of respect for these rights and freedoms will prevail and progressively such national and international remedies should be made from which members The people of the countries, the people of their territories, the universal rights of these rights The Public and the Rights of the Public Procedure approval provided Safety and reared.

Article1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

1. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.
2. No one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality.

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal

and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

**United Nations Information Center,
55 Lodhi Estate,
New Delhi-110003**

.Why Join the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council)?

1. I do selfless work for people's help.
2. To be aware of their rights and to make common people aware about them.
3. Working to increase human smita, to contribute to world building.
4. Raise voice against chaos, chaos, exploitation, chaos, corruption, communalism, racism
5. Be aware of the general public to make an introduction and relationship with more and more people.
6. Working to increase respectable status and confidence.
7. Working to support the governance administration in strengthening the law and order.
8. Take further steps to increase greater compassion in society and improve society.

Our Aim:-

1. Consolidate and alert the citizens of the country.
2. To make citizens aware of their rights and protect their dignity.
3. Make Citizens of education, socially powerful
4. Make citizens aware of all constitutional rights of citizens.
5. To cooperate with governance, administration and police to cooperate with them in preventing corruption and crimes and to bring justice to the victims.
6. Develop social ethical, character and intellectual, spiritual development and development of hate and ideological harmony among the masses.
7. Attempt for social justice and economic uplift in the Indian Constitution.
8. Attempts to remove them with the help of government-semi-governmental organizations to solve the problems of corruption, terrorism, women's violence, child labour, exploitation, disorder etc. to address current problems.
9. To publish publicity of publications and to organize seminars and seminars from time to time to make public aware of human rights and to promote human rights protection.
10. Try to stop crime and exploitation by establishing cooperation with governance-administration.
11. Publicity of the Human Rights Protection Act-1993, passed by the Government of India, to propagate among the people so that the common man can get the benefit of it.
12. To start the full/part time Diploma/Certificate Course and starting Our Organizational and authorized coaching centres for the protection of Human Rights with the affiliation by our Organization Vishwa Manavadhikar Parishad

(World Human Right Council) according to the necessities in all the states of India by which the peoples of India be aware.

13. The Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) shall be constituted by forming a team at the level of National, Zonal (North, East, West, South), State, Mandal, District, Tehsil, Block, Nagar and Gram Panchayat levels, and so will be the executive of all the chambers (Minority Cell, Legal Cell, Women Cell, Youth Cell, RTI Cell, OBC Cell, SC / ST Cell, Teacher Cell, Medical Cell, Media Cell, & Student Cell etc.) Do not.

What Does Human Rights Say:

The main purpose of the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) / our goal is to protect human rights as well as our utmost duty. Never deal with others that you do not like to be with yourself. Know your rights and make others aware. Play a leading role for the protection of human rights. Start the human rights and legal aid center by joining the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) and become a strong voice against exploitation, inequality and harassment. Remember the violation of human rights not only blocks the development of a particular person but the whole family, society and nation. The United Nations has taken significant initiatives in the preservation of human rights throughout the world. The charter declared in this regard is supported by almost all the countries of the world. Even in India, the National Human Rights Commission has played an important role in this matter, but any attempt to protect human rights in the absence of the awareness of common people is dishonest. Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council), various government departments, bodies, lawmakers, academicians, educated citizens and common people With the help of the common man and working with them, it is doing important work in this direction. If you are aware of human rights and also enthusiasts, then we just wait for you.

Major Cases of Human Rights Abuses: -

Women's harassment, dowry, dowry murder, second marriage, labour exploitation, child labour, communal violence, harassment of prisoners, false cases, illegal acts, failure in police work, starvation, filing of FIR, dishonesty in contract, rape, without Disclaimer from the job, bargain encounter, do wages and do not give money.

Steps are taken by the Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) on receiving information of such or such a case. Along with bringing the matter in the light of relevant government officials, departments and bodies, judicial treatment and compensation to the victim or the victim is also the highest in our priority. Public interest litigation against government or government departments/officials. The general public has the right to say that lack of facilities such as power supply, water supply, transport

system, railway, bad roads, corruption in government offices, medical facilities, education facilities, negligence by government officials-departments, police custody death, prisoners Security, prison reform, police harassment, atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, violation of minimum wage law, No rights, any citizen entitled to judicial remedies in respect of the law, MGNREGA, pollution, negligence in the implementation of welfare schemes, abuses of fundamental rights, etc. ragging. It is also possible in the form of a public interest petition (free and paid) in the High Courts and the Supreme Courts.

Do accept: this is our right.

Proceeded. Know your rights and make the public aware.

Override the Central and State Government Guidelines.

Every day around us there are incidents of incidents that are an open violation of the directions of the Central and State Government, but people remain silent because of lack of awareness and information. The information of many beneficial and welfare schemes of the government is not of the common people even though many of them living below the poverty line are prepared and implemented specifically for the victims, the disadvantaged, the Harijans, the minority people and the Scheduled Castes. Have been added.

Examples

:-

1. People living below the poverty line, take loan on 33 percent of the grants from the rural bank for the cattle buffalo goat etc.
2. Get farmer's loan with 50 to 80 percent grant for flower farming cultivation and gardening in the fields.
3. Grant of 50 percent for the cultivation of bee keeping, fish farming.
4. Under the Chief Minister Kanyadaan Yojana, a sum of Rs.5,000/-
5. Incentive assistance of Rs. 25000 thousand rupees for non-tribal marriages.
6. RUN AND GO Scheme of M.V.ACT under compensation of unidentified vehicle under section 161, compensation of Rs. 25000.
7. Due to the dry, earthquake, fire, flood, snowfall, cloudburst, pest attack, thunderbolt, innocent killing, drowning in water, in addition, electric accidents, auto accident, building accident, communal violence, negligence in medical, Physical and mental torture, such situations include victims / victims and parties, judicial remedies and indemnity / compensation violence, electoral violence, organism, and insects Death Atne, is the wrong question and apply it in the event of a late test.

Scheduled Caste / Tribe Oppression And Treatment.

Feeding or drinking inedible or disgusting substances harmful, humiliating, disrespectful work, illegal possession of labor, deprivation of rape enslavement, deprivation of voting rights, false testimony in false pretentious and harassing cases, harassment of government machinery, Physical and mental disabilities, murder, death, massacre, gang rape, burning of houses, Government on matters like District Kalyan Through Officer ensure compensation to victims of Rs 25,000 to Rs 2 lakh. Indira resides on getting burnt of scheduled caste / tribe house. Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) has taken effective steps in cognizance of many cases throughout the country, whose direct benefit has been received by the victim's party.If you have any legal assistance or any If you need type assistance, you are welcome. At the same time, you can get the information about the many legal decisions of the Supreme Court and High Courts from here, which will be a milestone in your area. It is possible that none of them should be very important in your context. Also, if you have reverence for human rights and you want to be aware and not just give direction to the society but also give a new height to your career. Come Educationists, intellectuals and advocates also contact in this regard.

Released by Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) Public Relations Cell,

Know your rights and make the public aware.

One has the right, the duty of the other.

Basic Rights and Original Duties of Indian Citizens

Basic Rights of India, and Original Duties Article 14

Prologue of India's Constitution - Fundamental and Supreme Laws of India Original Rights, Principles of State Policy and Original Duties [1] are the articles of the Constitution of India, in which the responsibilities of the state's responsibilities towards its citizens and the duties of the citizens are described. [Note 1] In these paragraphs the government By including policy-making and a constitutional rights bill related to the conduct and behavior of the citizens. These paragraphs are considered essential elements of the Constitution, which was developed by the Indian Constituent Assembly between 1947 and 1949.

The basic rights have been defined as the basic human rights of all citizens. These rights, as defined in Part III of the Constitution, apply to all, without distinction of race, birth place, caste, creed or gender. These are enforceable by the courts under specific restrictions.

State Policy Directive Principles are the guidelines for the government to make laws. These provisions, described in Part IV of the Constitution, are not enforceable by the courts, but the principles on which they are based are the basic guidelines for governance, which are expected to be implemented by the state in preparing and applying legislation. Fundamental duties have been defined as the moral obligations of all citizens of India to promote the spirit of patriotism and to maintain the unity of India. These duties, described in the fourth part of the constitution, belong to the people and the nation. Like the Directive Principles, they can not be legally applicable.

History

Indian Independence Movement and Indian Constituent Assembly.

The basic rights and directive principles were in the original Indian independence movement, which struggled to achieve the values of social welfare and independence as the target of independent India. [2] Development of Constitutional Rights in India, Bill of Rights in England, America The Bill of Rights and the declaration of human rights by France. [3] The British rulers and their Indian subjects In order to end discrimination between with an objective of the Indian National Congress (INC (INC))-up demand for civil rights was an important part of the Indian independence movement. This demand was clearly mentioned in the resolutions adopted by INC from 1917 to 1919. [4] In the demands expressed in these resolutions, Indians have the right to equal rights, the right to speak, the trial of lawsuits The jury had to include at least half an Indian, political power and the right to keep arms similar to the British citizens. [5]

Due to the emergence of World War I experiences, the unsatisfactory Montague-Chelmsford reforms of 1919 and the emergence of M. K. Gandhi in the Indian independence movement, there has been a marked change in their leaders' approach to deciding the demands for civil rights. Their focus shifted from seeking the right to equality between Indians and the British, and to ensure freedom for all Indians. [6] The special demand of seven basic rights in India's Commonwealth Bill prepared by Annie Besant in 1925 Was done - freedom of personal liberty, freedom of discretion, independence of expression, freedom of gathering, not discrimination on the basis of gender Freedom of compulsory primary education and use of public places. [7] In 1927, the Congress formed a committee to draft the Swaraj Constitution for India on the basis of the declaration of rights to be monitored against harassment. Took the resolution. In 1928, an 11-member committee was formed under the leadership of Motilal Nehru. In its report, the committee had made many recommendations including guarantees of basic rights for all Indians. These rights were met by the American Constitution and the rights adopted by European countries after the war, and many of them were adopted from the 1925 bill. These provisions were later incorporated into various parts of the Constitution of India, including basic rights and directive principles. [8]

In 1931, the Indian National Congress passed a resolution to dedicate itself to the protection of civil rights and economic freedom, with the stated objectives of ending exploitation, providing social security and implementing land reforms. Other new rights proposed in this resolution included prohibition of state ownership, universal adult franchise, abolition of capital punishment and freedom of movement. [9] The primary responsibility of implementing social reform in the draft resolution prepared by Jawaharlal Nehru, which later formed the basis of several Directive Principles, was put on the state and along with the growing influence of socialism and Gandhi philosophy on the freedom movement. The signs began to appear. [10] In the last phase of the freedom movement, with the repetition of the socialist principles of the 1930s, Yan center minority rights - which had become a major political issue of the time - became that were published in Tej Bahadur Sapru report in 1945. Apart from emphasizing on protecting the rights of minorities in the report, it was also demanded to set "Standards for conduct for legislatures, government and courts". [11]

During the last phase of the British Raj / English Raj, the Cabinet Mission of India prepared a draft of the Constituent Assembly to draft a constitution for India as part of the process of transfer of power. [12] The Constituent Assembly of India, formed by representatives of the British provinces and indigenously elected representatives from the princely states, started their proceedings in December 1946 and in November 1949 India Completed the draft of the constitution. [13] According to the plan of the Cabinet Mission, an advisory committee was formed to advise the House to give advice to the nature and extent of basic rights, protection of minorities and administration of tribal areas. Accordingly, a 64-member advisory committee was formed in January 1947, out of which, in February 1947, a 12-member sub-committee was constituted under the chairmanship of J.B. Croral, on original rights. [14] Sub-Committee originally Drafted the rights and submitted its report to the committee till April 1947, and later in the same month, the committee presented it before the meeting, in which debates and discussions took place during the next year, and the December Most of the draft was accepted in 1948. [15] The drafting of the basic rights was accepted by the United Nations Federation to accept the Universal Declaration of Human Rights, the activities of the United Nations Human Rights Commission [16] as well as the Bill of Rights in the American Constitution. The interpretation was influenced by the decisions given by the U.S. Supreme Court. [17] The draft of the Directive Principles, The socialist teachings of the Indian Independence Movement were included in the Indian independence movement and it was inspired by the same principles existing in the Irish Constitution. [18] Fundamental Duties Later in 1976, 42nd Amendment to the Constitution . [19]

Original Right

Main Article: Original Rights of Citizens of India

The basic rights embodied in Part III of the Constitution ensure civil rights for all Indians, and withholding the government from encroaching on personal liberty, also puts the responsibility of protecting citizens from encroachment by the society. [20]] Originally provided seven basic rights by the Constitution - Right to Equality, Right to Freedom, Right Against Exploitation, Right to Freedom of Cultural and Educational Rights, Right to Property, Right to Constitutional Remedies, The right to freedom of cultural and educational rights, property rights and constitutional remedies. [21] However, it was removed from Part III of the Constitution by the property rights of the 44th Amendment in 1978. [22] [note 2]

The objective of the basic rights is to protect the democratic principles based on the individual liberty and equality of all members of the society. [23] They act as the limitations of the powers of the legislature and executive under Article 13 [note 3] and these On the violation of rights, the Supreme Court of India and the High Courts of the states have the right to such a legislative or executive [24] According to the broad definition given in Article 12 in this state, not only the legislative and executive wings of the federal and state governments but also the local administrative authorities and the public working or the governmental nature There are large scale enforcements against other agencies and institutions. [25] However, some rights - such as Article 15 , 17, 18, 23, 24 - are also available against private individuals. [26] Apart from this, some of the basic rights - which are available in paragraphs 14, 20, 21, 25 - including any nationality Applicable to the person, while others - such as those available under Article 15, 16, 19, 30 - apply only to Indian Nationals. [27] [28]

The basic rights are not absolute and they are subject to the appropriate restrictions necessary to safeguard public interests. [25] In the case of Keshavandhav Bharti v. Kerala Government in 1973 [note 4] Supreme Court canceled its pre-1967 judgment Decided that original rights can be amended, if any such amendment violates the framework of the constitution, then the superior . [29] Original rights can be enhanced, removed, or otherwise modified by a constitutional amendment passed by two-thirds majority in each House of Parliament. [30] In the event of emergency, Article 20 and 21 Except, none of the remaining original rights can be temporarily suspended by the order of the President. [31] During the period of emergency, The rights of the people can also be suspended, which results in the prevention of entry of any citizen of the Supreme Court for the enforcement of any of the basic rights of Article 20 and 21. [32] Parliament also enacted the law under Article 33, To ensure the proper discharge of their services and to maintain discipline, the restrictions on the application of the basic rights of the Indian Armed Forces and the police force Can be considered. [33]

Right to Equality

Right to Equality is one of the main guarantees of the constitution. This is embodied in Article 14-18, which collectively contains common principles of equality and non-

discrimination before the law, [34] and Article 17-18, which collectively forward the philosophy of social equality. [35] Article 14 guarantees equality before the law, along with it provides equal protection of law to all persons within the boundaries of India. [Note 5] Subject to the authority of law in this Equal to everyone, in the same circumstances, equitable behavior with everyone. [36] In the succeeding state, the state can classify individuals for legitimate purposes, provided there is a reasonably presentable basis, which means that the classification is not arbitrary, classification. There should be a rational relation between the people to be made, based on a method of facilitating differentiation, as well as the purpose achieved by classification. . [37]

Article 15

Prohibits discrimination on the basis of religion, ethnic origin, caste, sex, place of birth, or any of these. In relation to free entry into partially or fully public funded public entertainment venues or public resort, this right is also enforceable against the state as well as private individuals. [38] However, the state is providing women and children or Scheduled Castes The state has not been stopped by making special provisions for the citizens of the socially and educationally backward classes including the tribe. This exception has been made because the people of the class mentioned in this are considered deprived and they have special protection. [39] Article 16 guarantees the equality of opportunity in relation to public employment and the state against anybody Only by discriminating on the basis of religion, race, caste, gender, lineage, birth place or any of these. To ensure adequate representation in the public services of any backward class, exceptions are made for the implementation of measures for their beneficial action, as well as a post of a religious institution reserved for the person pursuing that religion. Goes. [40]

The practice of untouchability has been declared as a punishable offense under Article 17, while passing this purpose, the Civil Rights Protection Act, 1955 has been enacted by the Parliament. [35] Article 18 states to exclude military or educational specificity Even a person stops with a degree and no Indian citizen can accept any degree from any foreign state. Thus, the elite titles provided by the Indian noble titles and the British have been abolished. However, Bharat Ratna, like Bharat Ratna, has been declared as valid by the Supreme Court on the basis that these awards are mere ornaments and can not be used by the recipient as a title. [41] [42]

Right to Freedom: -

The right to freedom has been included in Article 19-22 in order to guarantee the rights of the rights considered important by the constitution, and in these paragraphs there are some restrictions which can be applied to the individual by the state in special circumstances. is. Article 19 guarantees six types of freedom in the form of civil rights, which are available only to Indian nationals. [43] These include (19a) freedom of speech

and expression, (19b) peacefully without gathering of weapons And freedom to gather, freedom of movement anywhere in the territory of India, freedom to settle and reside in any part of India and any offer Freedom to adopt All these Freedoms are subject to some reasonable restrictions described in paragraph 19, which can be applied to them by the State. On the basis of which freedom is proposed to be restricted, the basis of the enforcement of sanctions is changed, including national security, public order, decency and ethics, contempt of court, incitement of crimes and defamation. The state has also been empowered to nationalize for the exclusion of citizens, for any trade, industry or service in the interest of the general public. [44]

The freedoms guaranteed by Article 19 are further protected by Article 20-22. [45] In relation to the extant of these paragraphs, in particular the principle of the prescribed procedure, but there was a great debate in the Constituent Assembly. In particular Benangal Narasimha Rao argued that due to the implementation of such a provision, social laws will be hampered and procedural difficulties will arise in order to maintain the system, so it should be kept entirely out of the constitution. [46] The Constituent Assembly of 1948 Eventually eliminated the terms "fixed procedure" and included "the process established by law" in their place. [47] As a result, Article 21, it is derived from Japan. Except for the action taken in accordance with the procedure established by law, prevents the encroachment of the state in life or individual independence, the meaning of [note 6] was deemed limited to executive proceedings until 1978. However, in 1978, in the case of Maneka Gandhi v. Union of India, the Supreme Court extended the protection of Article 21 to legislative proceedings and decided that the law to determine any process should be fair, fair and reasonable, [48] and Article 21 In this case, the Supreme Court also said that under Article 21 "life" means only a " Is more than "the existence of an organism"; It includes the right to live with human dignity and all the aspects that make life "meaningful, complete and live". [50] After this, the judicial interpretations of this have included many rights under Article 21 The boundary has been expanded including those related to livelihood, clean environment, good health, swift hearing in courts and human rights in captivity. [51] The right to education at the primary level has been made the original right in Article 21A by the 86th constitutional amendment of 2002. [52]

Article 20

Provides protection against conviction for crimes, including retrospective law and rights against double penalties and independence from self-denial. [53] Article 22 were arrested and detained in the special case Provides rights, especially to inform the basis of the arrest, to advise a lawyer of his choice, within 24 hours of a month of arrest The right to be presented before the court and not to be kept in custody beyond the period of the magistrate's order. [54] The Constitution authorizes the State to make laws for preventive detention, subject to protective measures available in Article 22 [55] After discussions with the skeptics and the fears on the provisions related to preventive detention, the Constituent Assembly, with some amendments, was reluctantly approved in 1949. [56]

Article 22 provides that when a person has been detained under any law of preventive detention, the person can arrest such person without trial for only three months; For any detention, it is necessary to be authorized by an advisory board. The person detained also has the right to be informed about the basis of custody and will be allowed to make representations as soon as possible. [57]

Rights Against Exploitation:-

Child labor and monk against prohibition under rights were prohibited.

The rights against exploitation are contained in Article 23-24, in which some provisions have been made to prevent the exploitation of the weaker sections of the society by the state or persons. [58] As per the provision of Article 23 human trafficking is prohibited, Has been made punishable by penalties, as well as forced or forced to work without giving any remuneration to a person, where the law does not work or remuneration A is entitled to receive, has also been banned. However, it allows the state to apply mandatory service, including compulsory recruitment and community service, for public purpose. [59] [60] To enforce the Prohibition of Labor (Elimination) Act, 1976, in this article Has been enacted by the Parliament. [61] Article 24 bans the employment of children under 14 years of age in factories, mines and other dangerous jobs. The Parliament has enacted the Child Labor (Prohibition and Regulation) Act, 1986, in which provision has been made to provide rules for eradication and to provide employment to child labor and rehabilitation of former child laborers. [62]

Right to Freedom of Religion:-

India is a Secular Democracy:-

The right to freedom of religion is contained in Article 25-28, which provides religious freedom to all citizens and ensures secular state in India. According to the Constitution, there is no official state religion, and the state should treat all religions with fairness and neutrality. [63] Article 25 teaches all people the freedom of discretion and the preaching, practice and propagation of religion of their choice. Guarantees freedom However, this right is subject to public order, ethics and health and the power to take measures to improve the social welfare and state of the state. [64] However, the right to propagate does not include the right to convert to another person, The right of a person's discretion is abrogated. [65] Article 26 All religious sects and sects are subject to public order, ethics and health. Neither guarantees the right to manage their religious matters, to establish institutions with charitable or religious purpose at their level and to possess, acquire and manage property according to the law. These provisions do not reduce the power to acquire property belonging to religious sects of the state. [66] The state has been given the power to regulate any economic, political or other secular activity related to religious pursuance. [63] Article 27 guarantees that no person can be compelled to pay

taxes to promote a particular religion or religious institution. [67] Quite 28 completely prohibits religious education in educational institutions financed by state and educational institutions taking financial assistance from the state, to take religious education without any autonomy of their (or their parents) or participate in religious worship. Can not be compelled. [63]

Cultural and Educational Rights:-

The cultural and educational rights given in Article 29 and 30, there are measures to protect the rights of cultural, linguistic and religious minorities, while empowering them to protect their heritage and protect them from discrimination. [68] Article 29 describes its distinctive language Provides the right to conserve and develop any class of citizens who keep the script and culture, thus, the state has the right to protect them The culture prevents the culture from being imposed. [68] [69] It is discriminating on the basis of religion, ethnicity, caste, language or any of these with any citizen while entering the educational or funded educational institutions. Prevents even from doing. However, it is subject to reservation of seats in the appropriate number of seats for the socially and educationally backward sections by the state as well as reservation of seats upto 50 percent for the respective citizens in that educational institution being run by a minority community. [70]

Article 30

Empowers all religious and linguistic minorities to establish and develop educational institutions of their choice to maintain and develop their own culture, and on the basis of any institution while giving financial assistance to the State That it is being run by a religious or cultural minority, prevents discrimination. [69] Although the term "minority" is a constitution Switch to is not defined, which means according to the interpretation went to the Supreme Court is a community of whose members, should the right under Article 30 in the state, less than 50 percent of the state's population. To claim this right, it is essential that the educational institution has been established and administered by any religious or linguistic minority. Apart from this, rights can be availed under Article 30, even if the educational institution established itself does not restrict itself to the teaching of religion or language of the minority community, or that the majority student of that institution relates to the minority community concerned Do not keep. [71] This right requires appropriate regulations regarding the use of educational standards, service conditions of staff, fee structure and support given. Not subject to the state's power to apply. [72]

Right to Constitutional Remedies.

The right to constitutional remedies gives citizens the power to go to the Supreme Court of India for the protection of enforcement or infringement of their original rights. [73]

Article 32 itself as an original right, guarantee for the enforcement of other basic rights Provides, the Supreme Court has been named as the protector of these rights by the Constitution. [74] The Supreme Court For the enforcement of the workers, rights have been given to issue habeas corpus, permit, prohibition, credit and rights of the writ (writ, writ), while Article 226 of the High Courts - which is not a material authority - does not violate original rights But these privilege has been given the right to issue the writings. [75] Applying the original right against the private institutions and in case of violation Finance person is to issue an order to award compensation even jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court can exercise its jurisdiction on the basis of motivation or a public interest litigation. [73] This right can never be suspended without the provisions of Article 359, when the Emergency is applicable. [74]

Original Duty for Indian Citizens

Any dishonest work against the Indian National Flag is illegal.

The original duty of the citizens was made in the constitution by the 42nd amendment, on the recommendations of the Swaran Singh Committee constituted by the government in 1976. [19] [99] Originally ten in number, the number of original duties was increased by eleven amendments in 2002 to eleven. It was in which every parent or guardian was assigned the duty to ensure that their children from six to fourteen years provided wages to education. Or. [52] Make Smeman other basic duty India's national symbols, including the Constitution, the duty of citizens to preserve its heritage to cherish its composite culture and assist in its defense. They also delegate the duty to all Indians to promote common brotherhood, to protect environment and public property, to develop scientific thinking, to abandon violence, and to strive towards excellence in all areas of life. [100] Citizens are morally binding by the Constitution to follow these duties. However, like the Directive Principles, these are not even justified, there can be no legal proceeding if there is no violation or compliance. [99] [101] Such duties should be mentioned in the Universal Declaration of Human Rights and International Affidavit on Civil and Political Rights such as In international newspapers, Article 51A brings the Indian Constitution in line with these treaties. [99]

Our Demands: -

1. Human rights from the level of secondary education should be included in the curriculum as a separate subject.
2. A comprehensive awareness campaign should be launched to introduce all the people to their legal rights.
3. Like the National Old Age Pension, not only effective plans should be made to give pension to widows and abandoned women, but they should be implemented in the right way.

4. Ensure proper arrangements for the treatment of poor people in the well-established and private hospitals.
5. To provide education to poor children in reputed private schools, place them.
6. Strict action should be taken in women's oppression, dowry etc., Unemployment and poverty,

There are a number of crimes in the root of the present.
According to your ability, remove the poverty of the people.
Remove your poverty
Give yourself employment ... give jobs to people.
This is the right and right step.
Do accept: this is our right.

Welcome to the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council): -

You will be happy to know that the team of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) will consistently carry out important functions related to the society in which the major

1. Initiate social evils and raise voices against them and protect the victims from evil.
2. Delivering from the atrocities of the child and bondage wages.
3. Working for the protection of children, women and the elderly.
4. Respect and honor the contributions of celebrities from time to time.
5. Organizing various activities in collaboration with people of every class of society.
6. Creating a bridge of cooperation between the police and the police and giving justice to the victims.
7. To stop every possible ban on the death of a stranger and raise a voice against him.
8. To give justice to the weaker sections of the society in society.
9. Equal education, free health check camping and providing medicines for all the poor children of society, for the elderly and disabled persons.
10. The Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) is appealing to every person in the society that let us all become part of social service together and help society to make crime free.
11. The team of Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) organization is open to the public at all times with unselfish service and will work with the cooperation of the common people.
12. Every possible effort of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) will be that it is human rights that every class can live happily with peace and dignity, free from fear and hunger in society.

An Introduction to Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council): -

The Vishwa Manavadhikar Parishad (World Human Rights Council) is a social trust registered under the Indian Trust Act 1882.

This is a non-governmental, non-political national organization. Our task is to make people aware of the society and to the administration of the public, by highlighting the corruption of the masses and the corruption of the people and the spread of society is the main objective. Because the incidents of human rights are increasing not only in our India year but in the whole world, incidents like human oppression, women's oppression, sexual abuse and child labor are prominent. The prisoners in prison are pathetic and anxious. Problems like corruption, communalism, racism and linguistic are going on in the country day by day. Even after 71 years of independence, most of the Indians still enjoy better education, food, health, housing, pure drinking water, justice, equality And lack of basic amenities like development. In our Constitution, no caste, religion, lineage origin, sex, richness, poverty, educated-illiterate has not been discriminated. In the Constitution, a person has the right to have a right to physical and natural freedom as well as to have a dignified life. In order to bring it practically, the constitution has provided for the legislature, judiciary and executive. On this basis, the Constitution of our country is considered to be the best constitution of the world. But the irony is that the common man is not getting the benefit of this. The biggest question is whether every citizen of India has got social, economic and political justice? In villages, there is no cleaning in the ration shop, the goods are not found in the right place, the government offices do not work without facilities, hospitals do not get the medicines, the doctor nurse does not pay attention to the patients, the roads are broken, the village level From the officials of the politicians, legislators do not pay attention to the minister, the villages do not get the electricity properly and backward areas. Our organization is trying to solve all these problems and organization was formed to fulfill these objectives. Our task is to make people aware. We do not conduct any government schemes. We have not authorized any person to collect money from the organization because the organization does not take any kind of money. The organization operates its activities with the help of its members. If you are sending your work to someone through our office then be aware that the person is your trustee. For any kind of information, contact the organization's officials who will help you with your selfless self, so that we can reach your voice through governance-administration from national level to national international level.

Human Services is the main objective of the organization is.

Human Rights and Non-Governmental Organizations: -

Non-governmental organizations are such individual organizations those who are formed without religious, social, scientific, cultural, public welfare, technical or economic purpose. There is no inter-governmental agreement in these organizations nor do they directly interact with the government. A proposal was adopted by the United Nations Economic and Social Council on February 28, 1950, which defined that non-

governmental organization means any international organization which is not established by inter-governmental agreement. In this broad sense, the term can be used for the organization of a non-profit organization which is independent of the government. Examples of such organizations are International Chamber of Commerce, Inter-Parliamentary Union Federation of Trade Unions and Women's International Democratic Confederation. NGOs can either be national or international. Membership of individual organizations established at the national level is at the national level and they define their objectives in their constitution. International non-governmental organizations are at international level and their activities are edited internationally. They are deemed to be like the people's interest group, which means that their methodology does not mean that they will work for the benefit of their members but they will do the work of public interest.

Human Rights and Non-Governmental Organizations: -

Non-governmental organizations are established in almost all states. It was calculated in 1994 that the number of non-governmental organizations in the United Kingdom was 275,000 and their estimated number in the poorer countries is 20000. Since then, their numbers are increasing rapidly. It was estimated that in 1999, there were 2 million in the world. Only in India it was estimated that their number is 10 lakhs which is almost half of the total number of non-government organizations in the whole world. Most non-governmental organizations have been established for the promotion and protection of human rights. Their activities and membership are mainly within the scope of one state but some organizations related to human rights have been organized at international level and their membership is also at international level. Such are examples of groups Amnesty International London Anti Slavery Society London International Commission of Jurists Geneva, International League for Human Rights America, International Pen and French League for the Defense of the Right of Man and the Citizen Paris, not only the United Nations Organization of International Non-Governmental Organizations The special advisory level is related, but their direct access to the human body of the United Nations Limousine Commission, the minority protection and anti-discrimination Sub-Commission, International Labor Organization and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is to UNESCO.

Human Rights in India: -

India is the only nation which has always been a priest of peace and peace and has been an active member of the United Nations. On this basis, the Constitution of India has mentioned all the ideas, ideals, values, standards and terminology, whose organizations are human rights U.N. Charter is in. Part 3 of our Constitution declares the original right of Article 12 and Part 4 of the Constitution. 36-51 State Policy Director describes elements. But 46 years after independence in India, the attention of public representatives and their advisory administrative officers did not go to common issues

like making human protection laws. In the year 1993, the Human Rights Protection Act was passed with the effort of Honorable Supreme Court. In order to protect human rights and to raise awareness about them, the National Human Rights Commission was constituted in September 1993 by an Ordinance of the President. A year after this, an Act was passed in the year 1994 to establish a Human Rights Commission in the states. This Commission examines the cases of violations and violations of human rights by itself or by anyone. State Human Rights Commission is working in Uttar Pradesh. Their formation has not been completed in some states of the country. The headquarters of the National Human Rights Commission is in New Delhi. At the post of Chairman of this Commission Retired Judge of the Supreme Court has been appointed and there are other members. Human rights are done only by human beings, whether the person is overbearing or the public servant. It does not make sense to the department or chair. Regardless of the high or powerful position the oppressor is, it is the same as the ordinary accused on his status in the family and he personally has to go through court proceedings. At that time, he realizes human oppression.

Rules and Bye Laws for Members: -

1. All activists and office bearers of Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) will work as volunteers in the organization, no amount is payable for this.
2. The membership is non-transferable. The membership fee will not be returned in any situation.
3. It is compulsory to submit the identity card to the main office after the expiry of validity. Upon expiry of validity, the renewal of the identity card is mandatory to continue the membership.
4. It is compulsory for all members to meet their respective officials once in a month at their respective headquarters.
5. On working against the policy of the organization, the concerned officer of the organization can be suspended from the membership.
6. Any doubts can contact the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council)'s Office for question or information.
7. To effectively implement the declared objectives of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), it is essential that the National, along with the State, the Mandal, district level should be made mandatory at the village level, in which any human being in the society can Do not be deprived of receiving information.

Rules for Membership: -

1. I voluntarily accept all the rules of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), which protect individuals, religious, social, cultural and constitutional rights of citizens.
2. I will oppose all those powers which harass any person by unlawful manner.
3. After taking membership of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), I will do all the work for the fulfillment of all the objectives and protection of human rights.
4. I will fulfill my responsibility to be transparent and responsible for the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council).
5. I will pay attention to the undesirable, anti-social and criminal cases of the society.
6. I will participate in the functions and meetings of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council) and will accept the agreed-upon functions of the constitution to fulfill the given workload and objectives.
7. I will not take any action against the objectives of the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council). If I am found to ignore the objectives, then my membership will be terminated immediately without giving any information.
8. By subscribing to the Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council), I also want to be included in the list of those fortunate people who have the distinction of being a member of your respected Vishwa Manavadhikar Parishad(World Human Rights Council).

VISHWA MANAVADHIKAR

विश्व मानवाधिकार परिषद् का विधान /नियम एवं सामान्य जानकारीयाँ

(1) विश्व मानवाधिकार परिषद् :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् एक सामाजिक संगठन है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि यह संगठन मानवाधिकार के प्रचार-प्रसार एवं मानवाधिकार हनन मामले की रोक-थाम के लिये सरकार की मदद से आम जनता की जनसमस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। विश्व मानवाधिकार परिषद् का मूल उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण का अधिकतम प्रचार-प्रसार करना है। जिससे आम जनता को अपने अधिकार पता हों सके और जब आम जनता को अपने अधिकार और सामाजिक न्याय के बारे में पता होगा तो देश की आम जनता सुखमय जीवन जी सकेगी जिससे देश और समाज में खुशहाली जैसा माहौल बना रहेगा। जिससे कोई भी व्यक्ति छोटी-छोटी बातों के लिए चौकी/थाना व न्यायालय की शरण में नहीं जायेंगे। तभी देश में राष्ट्रीय एकता एवं भाई चारे की मिसाल कायम हो सकेगी। जिससे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवता का संदेश देगे। तभी हमारे देश का नाम रोशन होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक हित में कार्य करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करना हमारा परम उद्देश्य है। विश्व मानवाधिकार परिषद् में समाज के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई अलग-अलग प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। सभी प्रकोष्ठ मुख्य परिषद् के समान ही परिषद् के विधान से पोषित एवं शक्ति प्राप्त हैं। संस्थापक सदस्यों जिनमें मुख्यतः संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष/राष्ट्रीय संयोजक/संरक्षक (जिनका चुनाव नहीं होगा), इसके अलावा सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 01 वर्ष का रखा गया है, जिसको समय एवं परिस्थितियों को देखकर घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। यह परिषद् सेवा-भाव से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस परिषद् में किसी को भी अन्य प्रभाव से नामांकन नहीं दिया जाता, यदि ऐसा करता हुआ कोई भी पदाधिकारी पाया जाता है जिसकी सुचना प्राप्त होते ही उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।

(2) लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा, श्रद्धा एवं विश्वास रखता है। आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा, पूर्व न्यायाधीश स्व० पी०एन० भगवती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विश्व मानवाधिकार परिषद् मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार जैसे समस्त अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, लोकतंत्र, धर्मनिर्पक्षता और समाजवाद में आस्था रखता है। एवं विश्व मानवाधिकार परिषद् का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है जिसमें आम जनता जागरूक हो, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, अमन-चैन और अपने अधिकारों के साथ सुखमय जीवन यापन कर सकें। विश्व मानवाधिकार परिषद् शांतिमय तथा

लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। इसमें सत्याग्रह तथा शांतिपूर्ण विरोध शामिल है। विश्व मानवाधिकार परिषद् विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा बनाये रखेगा तथा सन्निहित मानव अधिकार, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध रखेगी। विश्व मानवाधिकार परिषद् भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखेगा।

(3) क्या विश्व मानवाधिकार परिषद् पंजीकृत संगठन है ?

विश्व मानवाधिकार परिषद् भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 16/2015 & 67/2018, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी यूनिक आईडी UP /2018/0199150, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नम्बर UAN NO. UP50D0015583, आई एस ओ 9001:2015 सर्टिफाइड संगठन व वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एन जी ओ, यू एस ए एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के एन जी ओ शाखा से भी सम्बद्धता का प्रस्ताव चल रहा है एवं सदस्य क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया जिसकी सदस्यता संख्या - CORP/NGO/6512/2019-20 है ।

विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन का उद्देश्य है। न भ्रष्टाचार करेगे न भ्रष्टाचार सहेंगे, एक नई मिसाल कायम करेगे। क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाना है नया भारत बनाना है । संगठन के पदाधिकारी किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगे, विश्व मानवाधिकार परिषद् के समस्त प्रकोष्ठ संगठन के अंग हैं।

(4) सदस्य कैसे बनें :

विश्व मानवाधिकार परिषद् से जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य को कम्पलीट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ रु0 525 /- सदस्यता शुल्क देकर संगठन का प्रारंभिक सदस्य बन सकता है। परन्तु प्रत्येक प्रारंभिक सदस्य को रु0 10/- प्रतिमाह मासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। सदस्यता सहयोग राशि को सीधे संगठन (विश्व मानवाधिकार परिषद्) के बैंक खाते में जमा कराने का प्राविधान है। जिसे संस्थापक /राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगरानी में केन्द्रीय कमेटी कार्यालय संचालन, अनुसंधान, मानव अधिकार जागरूकता अभियान, मानवाधिकार शिक्षा, निःशुल्क कानूनी सलाह, लेखन सामग्री तथा सभा आयोजन व अधिकारों की प्राप्ति के लिए होने वाले शांतिपूर्ण धरना -प्रदर्शन आंदोलनों आदि में खर्च करेगी है।

(5) सहयोग राशि व शुल्क का विभाजन प्रति कार्यकारिणी सदस्यवार प्राप्त शुल्क की धनराशि रु0 10/- प्रतिमाह को रु0 02/- स्थानीय कमेटी, रु0 02/- जिला कमेटी में, रु0 02/- प्रदेश कमेटी में तथा रु0 04/- (शेष राशि) केन्द्र कमेटी/राष्ट्रीय कमेटी में विभाजित किया गया है।

(6) विश्व मानवाधिकार परिषद् का परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु कम्पलीट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

भरने के उपरान्त परिचय पत्र जारी किया जाता है, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा।

नोट :- विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन का प्रारम्भिक सदस्यों के लिए मात्र 525 रु0 ही है।

(7)संगठन के विकास हेतु दान एवं सहयोग राशि प्राप्त करना। विश्व मानवाधिकार परिषद् का सदस्य न होने के बावजूद भी यदि कोई दानी सज्जन अपना योगदान देना चाहते हों तो वे विश्व मानवाधिकार परिषद् के सम्बन्धित खाते में धनराशि जमा करके जमापर्ची की फोटो प्रति मुख्य कार्यालय भेजकर पावती रसीद मँगा सकते हैं। यह राशि सामाजिक हित में उपयोग की जायेगी और जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा आवश्यकता पड़ने पर कोर कमेटी के समक्ष सार्वजनिक किया जायेगा।

(8)विश्व मानवाधिकार परिषद् की कार्यकारिणी सम्पूर्ण भारतवर्ष में मानवाधिकारों का हनन रोकने एवं मानवाधिकार संरक्षण का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे। जिससे देश और समाज के जरूरतमंदों को सामाजिक, प्रशासनिक एवं सरकारी लाभ मिल सके। जिसके लिये संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी एवं आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया जो निम्न प्रकार है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस प्रकार है :-

- 01.राष्ट्रीय अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष।
02. राष्ट्रीय संरक्षक चार पोस्ट।
03. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
05. राष्ट्रीय संयोजक एक पोस्ट
06. राष्ट्रीय प्रभारी एक पोस्ट ।
07. राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. राष्ट्रीय महासचिव चार पोस्ट ।
09. राष्ट्रीय सचिव आठ पोस्ट ।
10. राष्ट्रीय संगठन सचिव चार पोस्ट ।

11. राष्ट्रीय विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
12. राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13. राष्ट्रीय सलाहकार चार पोस्ट ।
14. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. राष्ट्रीय पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. राष्ट्रीय प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

जोनल कार्यकारिणी:-

01. जोनल अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त।
02. जोनल संरक्षक चार पोस्ट।
03. जोनल वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. जोनल उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
05. जोनल संयोजक एक पोस्ट
06. जोनल प्रभारी एक पोस्ट ।
07. जोनल प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. जोनल महासचिव चार पोस्ट ।
09. जोनल सचिव आठ पोस्ट ।
10. जोनल संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. जोनल विधि सलाहकार चार पोस्ट ।

12. जोनल मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13. जोनल सलाहकार चार पोस्ट ।
14. जोनल कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. जोनल पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. जोनल प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. जोनल मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. जोनल कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

प्रदेश कार्यकारिणी :-

- 01.प्रदेश अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ।
02. प्रदेश संरक्षक चार पोस्ट।
03. प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. प्रदेश उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
05. प्रदेश संयोजक एक पोस्ट
06. प्रदेश प्रभारी एक पोस्ट ।
07. प्रदेश प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. प्रदेश महासचिव चार पोस्ट ।
09. प्रदेश सचिव आठ पोस्ट ।
10. प्रदेश संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. प्रदेश विधि सलाहकार चार पोस्ट ।

- 12 प्रदेश मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
- 13 प्रदेश सलाहकार चार पोस्ट ।
14. प्रदेश कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. प्रदेश पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. प्रदेश प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. प्रदेश मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

मंडल कार्यकारिणी :-

- 01.मंडल अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष /प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ।
02. मंडल संरक्षक 0 पोस्ट।
03. मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष 0 पोस्ट ।
04. मंडल उपाध्यक्ष तीन पोस्ट ।
05. मंडल संयोजक एक पोस्ट
06. मंडल प्रभारी एक पोस्ट ।
07. मंडल प्रमुख महासचिव 0 पोस्ट ।
08. मंडल महासचिव एक पोस्ट ।
09. मंडल सचिव चार पोस्ट ।
10. मंडल संगठन सचिव दो पोस्ट ।
11. मंडल विधि सलाहकार दो पोस्ट ।
- 12 मंडल मुख्य सलाहकार 0 पोस्ट ।

13. मंडल सलाहकार दो पोस्ट ।
14. मंडल कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. मंडल पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. मंडल प्रवक्ता एक पोस्ट ।
17. मंडल मीडिया प्रभारी एक पोस्ट ।
18. मंडल कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

जिला कार्यकारिणी :-

01. जिला अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष /प्रदेशअध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ।
02. जिला संरक्षक एक पोस्ट।
03. जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
04. जिला उपाध्यक्ष तीन पोस्ट ।
05. जिला संयोजक एक पोस्ट
06. जिला प्रभारी एक पोस्ट ।
07. जिला प्रमुख महासचिव 0 पोस्ट ।
08. जिला महासचिव एक पोस्ट ।
09. जिला सचिव चार पोस्ट ।
10. जिला संगठन सचिव दो पोस्ट ।
11. जिला विधि सलाहकार दो पोस्ट ।
12. जिला मुख्य सलाहकार 0 पोस्ट ।

13. जिला सलाहकार दो पोस्ट ।
14. जिला कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. जिला पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. जिला प्रवक्ता एक पोस्ट ।
17. जिला मीडिया प्रभारी एक पोस्ट ।
18. जिला कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

20. वार्लेटियर्स मेम्बर

तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कार्यकारिणी: -

01. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ अध्यक्ष एक पोस्ट ।
02. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
03. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संयोजक एक पोस्ट ।
04. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ प्रभारी एक पोस्ट ।
05. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / महासचिव एक पोस्ट ।
06. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / सचिव दो पोस्ट ।
07. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संगठन सचिव दो पोस्ट ।
08. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ कानूनी सलाहकार एक पोस्ट ।
09. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
10. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ मीडिया प्रभारी एक पोस्ट ।
11. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ सदस्य आवश्यकतानुसार।
12. वार्लेटियर्स सदस्य आवश्यकतानुसार।

ग्राम पंचायत कार्यकारिणी:

1. ग्राम पंचायत अध्यक्ष एक पोस्ट ।
2. ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
3. ग्राम पंचायत सचिव एक पोस्ट ।
4. ग्राम पंचायत कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
5. ग्राम पंचायत सदस्य आवश्यकतानुसार।

विश्व मानवाधिकार परिषद् के निम्न प्रकोष्ठों का गठन।

1. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
2. महिला प्रकोष्ठ
3. लीगल प्रकोष्ठ
4. यूथ प्रकोष्ठ
5. आर.टी.आई प्रकोष्ठ
6. ओबीसी प्रकोष्ठ
7. एससी / एसटी प्रकोष्ठ।
8. शिक्षक प्रकोष्ठ।
9. चिकित्सा प्रकोष्ठ
10. मीडिया प्रकोष्ठ
11. स्टूडेंट प्रकोष्ठ

नोट :- उपरोक्त सभी प्रकोष्ठों में राष्ट्रीय, ज़ोन, प्रदेश, मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की कार्यकारिणी मुख्य कार्यकारिणी के अनुरूप रहेगी। विश्व मानवाधिकार परिषद् में प्रत्येक प्रकोष्ठ का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो सीधे संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करेगा। उपरोक्त वर्णित ज़ोनल अध्यक्ष अपने ज़ोनल के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का कार्य देखेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य अपनी संगठनात्मक गतिविधियों की सीधी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को करेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेशाध्यक्ष अपने राज्य की सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की सीधी रिपोर्टिंग अपने ज़ोनल अध्यक्ष को करेंगे। कुछ खास विषयों में परिषद् का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उनको सीधी रिपोर्टिंग कर सकता है। यह नियम मुख्य परिषद् एवं उसके प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए अलग से लागू होगा। ताकि विश्व मानवाधिकार परिषद् पूरी बारीकी से अपनी समाज सेवा सुचारू रूप से कर सके।

विश्व मानवाधिकार परिषद् में आपका स्वागत है :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् एक सामाजिक ट्रस्ट है जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक गैर-सरकारी, गैर-राजनैतिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना है और उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को ही सिर्फ नया सदस्य बनाने/नवीनीकरण/निरस्त करने का अधिकार है। किसी भी पोस्ट/पद/ मेम्बर के लिए किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी/ज़ोनल पदाधिकारी/प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी/मंडल अध्यक्ष/पदाधिकारी/ज़िला, नगर, तहसील ब्लॉक, अध्यक्ष या पदाधिकारी आपको मनोनय पत्र या आई0डी0 कार्ड देते हैं तो पत्र/आई0डी0 कार्ड लेने वाले मेम्बर इन नम्बर पर अपने पत्र और आई0डी0 संख्या सूचित करें या व्हाट्सएप करें, [09454110126](tel:09454110126), [09794100006](tel:09794100006), [8802752786](tel:8802752786), या मेल करें। जिससे सदस्य के पत्र और पहचान पत्र को सत्यापित किया जा सके। जिससे कोई कार्ड लेटर फर्जी न जारी कर सके और पूरी बारीकी से नज़र रखी जा सके।

कोर कमेटी एवं सलाहकार बोर्ड का गठन

इसके लिए संगठन के संस्थापक /राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए एक कोर कमेटी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एवं आठ विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ एक सलाहकार बोर्ड जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव एवं 18 विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। ये सभी पदाधिकारी एवं सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे। और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेगा जिस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कोर कमेटी व सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं राष्ट्रीय विधिक सलाहकार करेंगे।

नोट:-जिन पदाधिकारियों /सदस्यों का नाम संगठन की वेबसाइट पर मौजूद है सिर्फ वह ही हमारे पदाधिकारी/सदस्य हैं। (विश्व मानवाधिकार परिषद से सम्बद्ध संगठन एवं समाचार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा एवं न्याय परिषद, विश्व मुस्लिम बोर्ड, ऑल इण्डिया प्रेस परिषद, भारतीय मतदाता जागरूकता संघ, आल इण्डिया मुस्लिम कान्फ्रेंस भारतीय मान्यता प्राप्त पत्रकार परिषद, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, मीडिया टाइम्स, लखनऊ, स्वतंत्र स्वरूप। विश्व मानवाधिकार परिषद परिवार परिषद के उद्देश्यों के सफल निर्वहन के साथ पाँचवाँ स्थापना दिवस 02.02.2019 को मनाएगी। यह परिषद का पाँचवाँ स्थापना दिवस वर्ष होगा। विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन सभी धर्मों का सम्मान करता है। कोई ऊँच नीच भेदभाव नहीं करता सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए धर्म के लोगों को होली, ईद, बकरीद, दीपावली, छठ के साथ ही साथ सभी राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि सभी पर्व को शान्ति और भाईचारे के साथ मनाएँ और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें।

सदस्यता शुल्क /सहयोग एवं दान राशि जमा करना।

किसी प्रकार का लेनदेन या सदस्यता शुल्क सिर्फ विश्व मानवाधिकार परिषद के एकाउण्ट में ही जमा करें। किसी भी प्रकार के कैश लेनदेन पर संगठन जिम्मेदार नहीं होगा। कैशलेस बनेगा इण्डिया तभी तो आगे बढ़ेगा इण्डिया। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- 09454110126 , 09794100006।

विश्व मानवाधिकार परिषद :-

विश्व मानवाधिकार परिषद सामाजिक विकास के लिए वृद्धों के लिये वृद्धाश्रम/धर्मशाला/गरीब बच्चों के लिये स्कूल बनाना चाहता है, जिससे समाज के उन लोगों की भलाई हो सके जो गरीब व असहाय लोगों की श्रेणी में आते हैं। एवं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी हमारे जाबाज पत्रकार बंधु अपनी जान जोखिम में डालकर खबरों को एकत्र करते हैं जिससे आम जनता को देश विदेश की खबरों की जानकारी प्राप्त होती है उन जाबाज पत्रकार बंधुओं के लिए जिला स्तर पर प्रेस क्लबो का निर्माण

कराना हमारा परम् कर्तव्य है। इसलिए कोई भी सहयोग कर्ता इस पुनीत कार्य के कार्य के लिए ज़मीन अथवा निर्माण सामग्री या तन-मन-धन से वृद्धाश्रम/स्कूल/धर्मशाला /निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्र (जिससे हर मजलूमों को बिल्कुल फ्री कानूनी लड़ाई संगठन के अधिवक्ताओं के द्वारा लड़ी जाएगी जिसके लिए विश्व मानवाधिकार परिषद हर सम्भव कोशिश कर रहा है कि ये सेवाएं जिला स्तर पर दी जाए जिससे उन सभी मजलूमों को सहायता प्रदान की जा सके)/ प्रेस क्लब के निर्माण में दान देकर इस कार्य में विश्व मानवाधिकार परिषद् की मदद करें। विश्व मानवाधिकार परिषद् समाज के लिए ऑक्सीजन , सिलेण्डर, बेटी की शादी के लिए बर्तन, दरी, गद्दा, तकिया, चादर ,साइकिल एवं ऐसे सामान जो समाज के काम आए, निःशुल्क सेवा प्रारम्भ करेगी। जो भी इच्छुक इसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, प्रधान कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं एवं उन्हें पावती रसीद भी दी जायेगी। परिषद् के सामाजिक कार्य में परिषद् का साथ दें और सेवा करने का आनन्द प्राप्त करें। सहयोग कर्ता एवं दानदाता के नाम को दाता बोर्ड में अंकित किया जायेगा। दान ऑन-लाइन, ट्रान्सफर, चेक, ड्राफ्ट सिर्फ विश्व मानवाधिकार परिषद् के नाम से ही स्वीकार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- [09454110126](tel:09454110126) [09794100006](tel:09794100006), [8802752786](tel:8802752786)

ई-मेल आई0डी0 :- vmpgov.np@gmail.com , vmpgov.786@gmail.com।

प्रत्येक कार्यकारिणी की जवाबदेही निम्न प्रकार से होगी :-

राष्ट्रीय/केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी , ज़ोनल स्तर ज़ोनल अध्यक्ष एवं उनकी ज़ोनल कार्यकारिणी , प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं उनकी प्रदेश कार्यकारिणी , मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, इसके अलावा प्रत्येक तहसील /ब्लॉक /शहर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। यह नियम सभी प्रकोष्ठों में भी लागू होगा।

(9)प्रत्येक स्तर की कमेटी या कार्यकारिणी में पदों का विभाजन इस प्रकार है :-

- 01.राष्ट्रीय अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष।
02. राष्ट्रीय संरक्षक चार पोस्ट।
03. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
04. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
05. राष्ट्रीय संयोजक एक पोस्ट
06. राष्ट्रीय प्रभारी एक पोस्ट ।

07. राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एक पोस्ट ।
08. राष्ट्रीय महासचिव चार पोस्ट ।
09. राष्ट्रीय सचिव आठ पोस्ट ।
10. राष्ट्रीय संगठन सचिव चार पोस्ट ।
11. राष्ट्रीय विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
12. राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
13. राष्ट्रीय सलाहकार चार पोस्ट ।
14. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
15. राष्ट्रीय पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
16. राष्ट्रीय प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
18. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आवश्यकतानुसार।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

(10) विश्व मानवाधिकार परिषद् के अन्तर्गत वर्तमान में निम्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं :-

1. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
2. महिला प्रकोष्ठ
3. लीगल प्रकोष्ठ
4. यूथ प्रकोष्ठ
5. आर.टी.आई प्रकोष्ठ
6. ओबीसी प्रकोष्ठ
7. एससी / एसटी प्रकोष्ठ।
8. शिक्षक प्रकोष्ठ।
9. चिकित्सा प्रकोष्ठ
10. मीडिया प्रकोष्ठ

11.स्टूडेंट प्रकोष्ठ

(11) परिषद् के महत्वपूर्ण नियम:-

विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी प्रोग्रामों में लगने वाले पोस्टर/बैनर/फ्लैक्स पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के फोटो सम्मानजनक स्थान पर लगाना अनिवार्य है, साथ ही परिषद् की वेबसाइट www.vmpgov.com है।

01.विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये एवं आम जन की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने एवं समाज को भय मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार पदों एवं प्रकोष्ठों का गठन करना तथा समयानुसार परिस्थितियों को देखते आवश्यकतानुसार पदों एवं प्रकोष्ठों का विघटन किया जा सकता है या किन्हीं खास कारणों से प्रकोष्ठ या कार्यकारिणी बिना सूचना दिये भंग की जा सकती है। यह अधिकार सिर्फ संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष को है।

02.सामान्यतः विभिन्न स्तर के अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारी के मनोनयन के बाद 30 से 45 दिन या अन्तिम 90 दिवस के भीतर उसे अपनी कार्यकारिणी गठित करने की सूची के साथ अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका मनोनयन निरस्त समझा जायेगा तथा नये अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारी को मनोनित कर सकता है, किन्तु नया अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन के लिए यदि चाहे तो सम्बन्धित पदाधिकारियों का मनोनयन किया जा सकता है। विभिन्न स्तरों के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि उनके द्वारा नियत समय में कार्यकारिणी गठित नहीं की जाती है या सूचना नहीं दी जाती है। तो उनके स्थान पर उन्हें बिना कोई सूचना दिये या प्रकाशित करवाये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

03.भारतवर्ष के ऐसे राज्य या स्थान जहाँ कार्यकारिणी गठित नहीं है, उनके लिये परिषद् के या बाहर से प्रभारी नियुक्त किये जा सकते हैं। जिनका पहला कार्य होगा। कि उस राज्य से उचित व्यक्ति का नाम अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना होगा।

04.आवश्यकतानुसार विश्व मानवाधिकार परिषद् द्वारा समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जा सकता है जिसका सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष/संस्थापक अध्यक्ष के पास सुरक्षित हैं।

05.परिषद् के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा यदि किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य या भारत देश की किसी भी राष्ट्रीय धरोहर को क्षतिग्रस्त या नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं, या किसी भी अपराध के लिए समाज में नफरत या अशान्ति का माहौल फैलाने वाला व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष या विश्व मानवाधिकार परिषद् के अन्य सदस्य जिम्मेदार नहीं माने जायेंगे। और ऐसा कोई भी अपराध या कृत्य किसी भी पदाधिकारी या सदस्य

द्वारा किया जाता है या सिद्ध होता है। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही उस व्यक्ति का संगठन से स्वतः ही निष्कासन/पदमुक्त माना जायेगा।

06. किसी भी वर्तमान या पूर्व पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता, प्रारम्भिक /साधारण सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा परिषद् के लैटरपैड, सील, आईडीकार्ड आदि का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी सदस्य को बेवजह परेशान, प्रताड़ित, बदनाम, छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, मौखिक/लिखित आदि किसी भी प्रकार से कोई क्रिया-कलाप करता है। तो उसके खिलाफ समक्ष न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। और इस कानूनी कार्यवाही में आए खर्च को उसके द्वारा ही वहन किया जायेगा।

07. विश्व मानवाधिकार परिषद् में राष्ट्रीय अध्यक्ष (संस्थापक अध्यक्ष) का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी भी स्तर के अध्यक्ष या किसी भी पद के पदाधिकारी को मनोनीत करने या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहें विशेष कार्यभार सौंप सकता हैं। किन्तु अपना कार्यकाल पूरा करने या इसी बीच कोई भी पदाधिकारी या सदस्य को गलत आचरण या किसी भी अपराध में लिप्त पाये जाने पर तत्काल पदमुक्त किया जा सकता है।

(12) विश्व मानवाधिकार परिषद् के नियम:-

01. संगठन का नाम :- विश्व मानवाधिकार परिषद् है।

02. सदस्यता की परिभाषा :- कोई भी भारतीय व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। जो कोई भी इंसान विश्व मानवाधिकार परिषद् में निःस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता हो एवं साफ-सुथरी छवि का हो, भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय दण्डित न किया गया हो और साथ ही साथ किसी भी थाने में कोई अपराधिक मुकदमा पंजीकृत न हो, व किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य न हो, राष्ट्र के विकास के साथ-साथ मानवाधिकार शिक्षा, मानवाधिकार संरक्षण का प्रचार-प्रसार और सामाजिक कार्य करने को इच्छुक हों तथा विश्व मानवाधिकार परिषद् की मूल भावना एवं विचारधारा तथा परिषद् के संविधान से एकरूप होकर निर्धारित कार्यक्षेत्र का पालन करने को तैयार हों सदस्यता प्रदान की जा सकती हैं।

03. सदस्यता के नियम प्रवेश एवं योग्यता :-

कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। यह अध्यक्ष/प्रभारी के स्व-विवेक पर है। परन्तु मूल संगठन एवं उसके प्रकोष्ठों के विषयों के अनुसार हो।

04. सदस्यता सहयोग राशि :-

विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को संगठन के नियमों के अनुसार सदस्यता/सहयोग राशि अदा करना अनिवार्य है



राष्ट्रीय कार्यकारिणी

01. राष्ट्रीय अध्यक्ष : 11000 /
02. राष्ट्रीय संरक्षक: 101/
03. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष : 7500 /
04. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष: 7000 /
05. राष्ट्रीय संयोजक: 11000 /
06. राष्ट्रीय प्रभारी: 11000 /
07. राष्ट्रीय मुख्य महासचिव: 11000 /
08. राष्ट्रीय महासचिव: 8500 /
09. राष्ट्रीय सचिव: 7500 /
10. राष्ट्रीय संगठन सचिव: 6500 /
11. राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार: 101/
12. राष्ट्रीय सलाहकार: 5100/
13. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष: 6500 /
14. राष्ट्रीय P.R.O.:6500/
15. राष्ट्रीय प्रवक्ता: 6500 /
16. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी: 6500 /
17. राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य 5100 /
18. आजीवन सदस्य 2100 /
19. विशेष आमंत्रित सदस्य 1100 /

ज़ोनल कार्यकारी: -

01. ज़ोनल अध्यक्ष: 7500 /
02. ज़ोनल संरक्षक : 101/
03. ज़ोनल वरिष्ठ उपाध्यक्ष : 5100
04. ज़ोनल उपाध्यक्ष: 5100 /
05. ज़ोनल संयोजक: 7500 /
06. ज़ोनल प्रभारी: 7500 /
07. ज़ोनल मुख्य महासचिव: 7500 /
08. ज़ोनल महासचिव: 5100 /
09. ज़ोनल सचिव: 4100 /

VISI

10. ज़ोनल संगठन सचिव: 4100 /
11. ज़ोनल लीगल एडवाइज़र: 101/
12. ज़ोनल सलाहकार: 4100 /
13. ज़ोनल कोषाध्यक्ष : 2100 /
14. ज़ोनल P.R.O.:4100/
15. ज़ोनल प्रवक्ता: 2100 /
16. ज़ोनल मीडिया प्रभारी: 2100 /
17. ज़ोनल कार्यकारी सदस्य: 1100 /
18. आजीवन सदस्य: 2100 /
19. विशेष आमंत्रित सदस्य: 1100 /

राज्य कार्यकारिणी: -

01. प्रदेश अध्यक्ष: 7500 /
02. प्रदेश संरक्षक: 101/
03. प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष : 4100 /
04. प्रदेश उपाध्यक्ष: 4100 /
05. प्रदेश संयोजक: 5100 /
06. प्रदेश प्रभारी: 5100 /
07. प्रदेश मुख्य महासचिव: 5100 /
08. प्रदेश महासचिव: 4100 /
09. प्रदेश सचिव: 3100 /
10. प्रदेश संगठन सचिव: 3100 /
11. प्रदेश कानूनी सलाहकार: 101/
12. प्रदेश सलाहकार: 3100/
13. प्रदेश कोषाध्यक्ष: 2100/
14. प्रदेश P.R.O.3100 /
15. प्रदेश प्रवक्ता 2100 /
16. प्रदेश मीडिया प्रभारी: 2100 /
17. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य 1100 /
18. आजीवन सदस्य: 2100 /
19. विशेष आमंत्रित सदस्य: 1100 /

ज़ोन / मंडल कार्यकारिणी: -

01. ज़ोन अध्यक्ष: 2100 /

02. ज़ोन संरक्षक : 101/
03. ज़ोन वरिष्ठ उपाध्यक्ष: 2100 /
04. ज़ोन उपाध्यक्ष: 2100 /
05. ज़ोन संयोजक: 2100 /
06. ज़ोन प्रभारी: 2100 /
07. ज़ोन प्रमुख महासचिव: 2100 /
08. ज़ोन महासचिव: 2100 /
09. ज़ोन सचिव: 2100 /
10. ज़ोन संगठन सचिव: 2100 /
11. ज़ोन लीगल एडवाइज़र: 101/
12. ज़ोन सलाहकार: 2100 /
13. ज़ोन कोषाध्यक्ष: 2100 /
14. ज़ोन P.R.O.2100 /
15. ज़ोन प्रवक्ता: 2100 /
16. ज़ोन मीडिया प्रभारी: 2100 /
17. ज़ोन कार्यकारी सदस्य: 1100 /
18. आजीवन सदस्य: 2100 /

जिला कार्यकारिणी: -

01. जिलाध्यक्ष: 1100 /
02. जिला संरक्षक: 101/
03. जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष: 1100 /
04. जिला उपाध्यक्ष: 1100 /
05. जिला संयोजक: 1100 /
06. जिला प्रभारी: 1100 /
07. जिला मुख्य महासचिव: 1100 /
08. जिला महासचिव: 1100 /
09. जिला सचिव: 1100 /
10. जिला संगठन सचिव: 1100 /
11. जिला कानूनी सलाहकार 101/
12. जिला सलाहकार: 1100 /
13. जिला कोषाध्यक्ष: 1100 /
14. जिला P.R.O.:1100/
15. जिला प्रवक्ता: 1100 /

VISI

16. जिला मीडिया प्रभारी: 1100 /
17. जिला कार्यकारी सदस्य: 525 /
18. वॉलेंटियर्स मेम्बर 101/

तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कार्यकारिणी: -

01. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ अध्यक्ष: 750 /
02. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ उपाध्यक्ष: 750 /
03. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संयोजक: 750 /
04. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ प्रभारी: 750 /
05. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / महासचिव: 750 /
06. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / सचिव: 750/
07. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ संगठन सचिव: 750 /
08. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ कानूनी सलाहकार: 101/.
09. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर / कोषाध्यक्ष: 750 /
10. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ मीडिया प्रभारी: 750 /
11. तहसील / ब्लॉक/ शहर/नगर/ सदस्य: 250/
12. वॉलेंटियर्स सदस्य: 101/

ग्राम पंचायत कार्यकारिणी:

1. ग्राम पंचायत अध्यक्ष: 525/
2. ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष: 525/
3. ग्राम पंचायत सचिव: 525/
4. ग्राम पंचायत कोषाध्यक्ष : 525/
5. ग्राम पंचायत सदस्य: 150/

सभी प्रकोष्ठ के लिए भी उपरोक्त सदस्यता सहयोग राशि ही मान्य होगी ।

1. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
2. महिला प्रकोष्ठ
3. लीगल प्रकोष्ठ
4. यूथ प्रकोष्ठ
5. आर.टी.आई प्रकोष्ठ
6. ओबीसी प्रकोष्ठ
7. एससी / एसटी प्रकोष्ठ।
8. शिक्षक प्रकोष्ठ।
9. चिकित्सा प्रकोष्ठ
10. मीडिया प्रकोष्ठ

VISI

11.स्टूडेंट प्रकोष्ठ

नोट:-संगठन के नियमों के खिलाफ कार्य करने या किसी गंभीर आरोप में लिप्त पाए जाने की दिशा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको पदमुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सदस्यता रद्द कर सकते हैं।

(13)किसी भी तरह के विवाद में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

(14)विश्व मानवाधिकार परिषद् और सम्बद्ध संगठन/प्रकोष्ठ की कुछ महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी यहाँ प्रदर्शित की गई है। परिषद् के नियम के बिन्दु (1) से (14) तक जो यहाँ प्रदर्शित है, परिषद् और परिषद् से सम्बद्ध सभी संगठन/प्रकोष्ठ में लागू होंगी। परिषद् के पूर्ण नियम, उपनियम की जानकारी सदस्य और पदाधिकारी कार्य दिवस पर प्रधान कार्यालय में देख सकते हैं।

मानव अधिकार क्या है :

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो आम आदमी के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग-तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गए हैं और देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, को मानव अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है।

जाँच कार्य से सम्बन्धित प्राप्त अधिकार :-

अधिनियम के अन्तर्गत किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग की सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विशेष रूप से सम्बन्धित पक्ष को तथा गवाहों को सम्मन जारी करके बुलाने तथा उन्हें आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य करने एवं शपथ देकर परीक्षण करने का अधिकार, किसी दस्तावेज़ का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार, शपथ पर गवाही लेने का अधिकार और किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करने का अधिकार, गवाहियों अथवा दस्तावेज़ों की जाँच हेतु कमीशन जारी करने का अधिकार। आयोग में पुलिस अनुसंधान दल भी है, जिसके द्वारा प्रकरणों की जाँच की भी जाती है।

उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के कार्य :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

- 1.आयोग अपनी ओर से स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करने पर कि, किसी शासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाया गया है अथवा उसने ऐसा हनन रोकने की उपेक्षा की है, तो ऐसी शिकायतों की जाँच करना।
- 2.किसी न्यायालय में विचाराधीन मानव अधिकारों के हनन के मामले में सम्बन्धित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे मामले की कार्यवाही में भाग लेना।
- 3.राज्य सरकार को सूचित करके, किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे संस्थान का जहाँ लोगों को चिकित्सा सुधार अथवा सुरक्षा हेतु निरुद्ध अथवा ठहराया जाता है, वहाँ के निवासियों की आवासीय दशाओं का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उसके बारे में अपने सुझाव देना।
- 4.संविधान तथा अन्य किसी कानून द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव देना।
- 5.आतंकवाद एवं ऐसे सारे क्रिया-कलापों की समीक्षा करना, जो मानव अधिकारों का उपभोग करने में बाधा डालते हैं तथा उनके निवारण के लिए उपाय सुझाना।
- 6.मानव अधिकारों से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य को अपने हाथ में लेना एवं उसे बढ़ावा देना।
- 7.समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, संचार माध्यमों एवं संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता लाना।
- 8.मानव अधिकारों की रक्षा करने या करवाने के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थानों को सहयोग प्रदान करना जिससे आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके ।

शुभकामनाओं सहित

डॉ०एम० आर० अंसारी (एल.एल.एम)

संस्थापक/राष्ट्रीय अध्यक्ष

विश्व मानवाधिकार परिषद् ।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा:-

प्राक्कथन:

10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुयी और उसे महासभा ने स्वीकार किया। इसका मसौदा बनाने वालों की असाधारण अन्तर्दृष्टि और संकल्प ने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसने पहली बार सभी लोगों के लिए एक वैयक्तिक संदर्भ में सार्वभौमिक मानवाधिकार निर्धारित किए। अब 360 से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध, यह घोषणा दुनिया का सर्वाधिक अनूदित दस्तावेज है। इसी सार्वभौमिक प्रकृति और पहुँच का यह एक प्रमाण है। इसने अनेकानेक नव-स्वतंत्र राष्ट्रों और नए लोकतंत्रों के संविधानों को प्रेरित किया है। यह एक ऐसा मापदण्ड बन चुका है जिसके ज़रिये हम जो गलत या सही हैं, उसे जानते हैं या हमें जानना चाहिए, उसका आंकलन करते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि यह अधिकार ऐसी जीवन्त वास्तविकता बने जिसे सभी जगहों के सभी लोग आसानी से समझ सकें और इसे लाभांविता हो सकें। जिन लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता रहती है उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि यह घोषणा अस्तित्व में आ चुकी है और उन्हीं के लिए है। इस घोषणा को स्वीकार किये जाने की 71वीं वर्षगाँठ हम सबके लिए इस घोषणा के दर्शन के प्रति पुनः समर्पित होने का एक अवसर है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने स्वीकार किये जाने के दिन थी। मुझे आशा है कि आप इसे अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे।

बान की मून

महासचिव

प्रस्तावना:

आज यह कल्पना करना कठिन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तब कैसे आधारभूत परिवर्तन का प्रतीक रही होगी जब इसे 60 वर्ष पहले अपनाया गया था। युद्ध के बाद विध्वंस से भयभीत उपनिवेशवाद से बटी और असमानताओं से टूटी-बिखरी दुनिया में अन्तर्निहित मान-मर्यादा और रंग, पंथ या मूल से बेपरवाह सभी मनुष्यों में समानता से पहले सार्वभौमिक और विधिवत् प्रण को सीमांकित करता एक घोषणापत्र, एक निर्भीक और साहसिक प्रतिज्ञा थी, ऐसी जिसकी सफलता निश्चित नहीं थी। इसमें उन सभी आधारभूत स्वतंत्रताओं के संरक्षण का एक ऐसा व्यापक ढाँचा बन उठा है जिसके हम अधिकारी हैं। यही तथ्य घोषणा के मसौदाकारों के दर्शन को एक श्रद्धांजलि है और उन सभी मानवाधिकार संरक्षकों को भी जिन्होंने छः दशकों से भी अधिक समय तक इस दर्शन को एक वास्तविकता बनाने के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष दूर तक जायेगा और उसमें भी घोषणा की ताकत है। यह एक जीवित दस्तावेज है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

लुई आर्बर,

मानवाधिकार उच्चायुक्त।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा:

10 दिसम्बर, 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। ऐतिहासिक कार्य के बाद ही इसेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की, वे इस घोषणा का प्रचार-प्रसार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किये बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों में इसके प्रचार, प्रदर्शन पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें। इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन पाँच भाषाओं में प्राप्य है, अंग्रेज़ी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अनुवाद का जो पाठ यहाँ दिया गया है, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

प्रस्तावना:-

चूँकि मानव परिवारों के सभी सदस्यों की जन्मजात प्रतिष्ठा तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शान्ति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूँकि मानवाधिकारों की अवहेलना और घृणा के फलस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की अन्तर्भावना उत्पीड़ित हुई है, चूँकि ऐसी विश्व-व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, जनसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित की गयी है। चूँकि अगर अन्यायमुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे अन्तिम उपाय समझ कर मजबूर नहीं हो जाना है तो कानून के शासन द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। चूँकि राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों का बढ़ाना आवश्यक है चूँकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनता के बुनियादी मानवाधिकारों में मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और योग्यता में और नर-नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को चार्टर में दोहराया गया है और यह निश्चित किया गया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक प्रगति एवं जीवन यापन के बेहतर स्तर को प्रोन्नत किया जाये। चूँकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे। चूँकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे अधिक ज़रूरी है, इसलिए अब महासभा घोषित करती है कि मानवाधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की साझा उपलब्धि है कि जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरन्तर दृष्टि में रखते हुए शिक्षण और शिक्षा के द्वारा प्रयास करेगा कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना प्रवर्तित हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जायें जिनसे सदस्य देशों की जनता उनके द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराये।

अनुच्छेद-1

प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से समस्त मानव प्राणी स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। वे तर्क तथा विवेक से सम्पन्न हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ मातृभाव से पेश आना चाहिए।

अनुच्छेद-2

इस घोषणा में सन्निहित समस्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म तथा अन्य स्थिति जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जिस किसी भी देश या राज्यक्षेत्र का रहने वाला हो उसका उसके देश के राजनीतिक अथवा अधिकार क्षेत्रीय या उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, चाहे वह देश स्वाधीन, न्यासाधीन, गैर-स्वशासित अथवा प्रभुसत्ता के किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन आता हो।

अनुच्छेद-3

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद-4

किसी को भी गुलामी या बेगारी की स्थिति में नहीं रखा जायेगा, दासता और दास व्यापार अपने सभी प्रकारों में प्रतिबंधित होगा।

अनुच्छेद-5

किसी को भी शारीरिक यातना या उसके साथ क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक बर्ताव नहीं किया जायेगा और न किसी को अमानुषिक दण्ड दिया जायेगा।

अनुच्छेद-6

हर किसी को हर कहीं कानून की दृष्टि में व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है।

अनुच्छेद-7

कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना कानून का संरक्षण प्रत्येक को प्राप्त है। इस घोषणा का उल्लंघन करते हुए यदि कोई भेदभाव किया जाता है या भेदभाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सबको प्राप्त है।

अनुच्छेद-8

संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से प्रभावी समाधान प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-9

किसी भी व्यक्ति को निरंकुश तरीके से गिरफ्तार, नजरबंद नहीं किया जा सकता या देश निकाला नहीं दिया जा सकता।

अनुच्छेद-10

प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पूर्णरूपेण अधिकार है कि उसके अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के सम्बन्ध में और उस पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उसकी सुनवायी न्यायोचित एवं सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय द्वारा की जाये।

अनुच्छेद-11

1. प्रत्येक व्यक्ति जो दण्डनीय अपराध से आरोपित किया गया है उसे उस समय तक निर्देश माने जाने का अधिकार होगा जब तक उसे सार्वजनिक सुनवायी के बाद अदालत द्वारा, जहाँ उसे अपनी सफाई पेश करनी की सभी आवश्यक सुविधायें मुहैया करायी गई हों, कानून के अनुसार दोषी न सिद्ध कर दिया जाये।

2. किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने या न करने के लिए अपराधी नहीं माना जायेगा जो उस समय किया या न किया गया होगा जब राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत वह दण्डनीय अपराध नहीं माना जाता था और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जायेगा जो उस समय दिया जाता जब वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद-12

किसी भी व्यक्ति के परिवार, उसके घर या पत्र व्यवहार की एकान्तता (प्राइवैसी) के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, और न उसके सम्मान तथा प्रतिष्ठा पर आक्षेप किया जायेगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध व्यक्ति को कानूनी बचाव का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद-13

1. प्रत्येक व्यक्ति को हर राज्य की सीमाओं के अंदर आवागमन और आवास की स्वतंत्रता प्राप्त है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश वापस लौटने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद-14

1. उत्पीड़न किये जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार है।
2. इस अधिकार का सहयोग विशुद्धतया गैर-राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध किये गए कृत्यों से उत्पन्न अभियोजनों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-15

1. प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्रीयता का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति के मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से खारिज नहीं किया जा सकता और न उसे राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-16

1. वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को, नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म के आधार पर किसी पाबंदी के बिना आपस में विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। उन्हें विवाह के सम्बन्ध में, विवाह के दौरान तथा विवाह को भंग करने के पूर्ण अधिकार हैं।
2. विवाह केवल अभिलाषी युवक और युवती की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति पर ही किया जा सकता है।
3. परिवार समाज की स्वाभाविक एवं बुनियादी गुण इकाई है अतएव उसे समाज तथा राज्य से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-17

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले तथा अन्यो के साथ मिलकर सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, सोच और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म या मत बदलने की स्वतंत्रता, अकेले या समुदाय में अन्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से उपदेश,

आचरण, उपासना और अनुपालन द्वारा अपने धर्म या मत को मानने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद-19

प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विचार को अपनाने और उसे व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस अधिकार में किसी हस्तक्षेप के बिना मत अपनाने तथा बिना किन्हीं सीमाओं के सूचना और विचार ग्रहण करने, खोजने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद-20

1. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित करने संघबद्ध होने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी को भी संघ विशेष का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-21

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में, प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समानता के आधार पर प्रवेश करने का अधिकार है।
3. सरकार की सत्ता जनता की इच्छा पर ही टिकी होगी, इस इच्छा का प्रकटन नियतकालिक एवं यथार्थ रूप से वास्तविक चुनावों में होगा जो सार्वजनिक तथा समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान या इसी के समान किसी अन्य स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया से कराये जायेंगे।

अनुच्छेद-22

समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुरूप अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का पात्र है।

अनुच्छेद-23

1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, अपनी पसंद के अनुसार रोजगार चुनने, न्यायोचित तथा अनुकूल परिस्थितियों में काम करने एवं बेरोजगारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार है।

3. काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना न्यायोचित एवं अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने तथा अपने परिवार के लिए मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल आजीविका की व्यवस्था कर सकेगा तथा आवश्यक होने पर सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसकी पूर्ति हो सकेगी।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद-24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और फुरसत के क्षण बिताने का अधिकार है जिसमें कार्यावधि या काम के घंटों की यथोचित सीमा तथा नियतकालिक सवेतन अवकाश शामिल हैं।

अनुच्छेद-25

1. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपयुक्त हो जिसमें खाद्य परिधान, आवास और चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक सामाजिक सेवायें और बेरोज़गारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य, वृद्धावस्था या अपने देश से बाहर परिस्थितियों में आजीविका के साधन लुप्त हो जाने की स्थिति में संरक्षण के अधिकार शामिल हैं।

2. जच्चा और बच्चा विशेष देखभाल तथा सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चों को, चाहे वह विवाहिता से या अविवाहिता से उत्पन्न हुए हों, उन्हें समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद-26

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी चरणों में शिक्षा निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और वयासायिक शिक्षा सामान्य तौर पर उपलब्ध रहेगी तथा उच्चतर शिक्षा योग्यता के आधार पर सबकी पहुँच के अन्दर होगी।

2. शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को सुदृढ़ करना होगा। यह सभी राष्ट्रों एवं धार्मिक ग्रुपों के बीच सद्भावना को प्रवर्तित करेगी और शान्ति बनाये रखने सम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को बढ़ावा देगी।

3. अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दिलानी है, यह निश्चित करने का अधिकार अभिभावकों को होगा।

अनुच्छेद-27

1. प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनन्द उठाने और इसके वैज्ञानिक उन्नयन तथा उससे हुए लाभों का उपभोग करने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से संबद्ध नैतिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसकी रचना उसने स्वयं की हो।

अनुच्छेद-28

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद-29

1. प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति दायित्व है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो सकता है।
2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित उन सीमाओं से बंधा रहेगा जिनका एकमात्र उद्देश्य अन्यो के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उचित पहचान और मान्यता देना तथा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सर्वसाधारण के कल्याण की न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करना है।
3. इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-30

इस घोषणा के किसी भी अंश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि किसी देश, गुप या व्यक्ति को इसमें प्रदत्त किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता को समाप्त करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करने का अधिकार मिल जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र,

55 लोधी एस्टेट,

नई दिल्ली-110003.

विश्व मानवाधिकार परिषद् से क्यों जुड़ें ?

1. आम लोगों की मदद के लिए निःस्वार्थ कार्य करना।
2. अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने एवं और आम लोगों को जागरूक करने के लिए उनको जानकारी देना।
3. मनुष्य स्मिता को बढ़ाने, विश्व निर्माण में योगदान देने के लिए कार्य करना।
4. अन्याय, अव्यवस्था, शोषण, अराजकता, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाना।
5. अधिक से अधिक लोगों से परिचय और सम्बन्ध बनाने के लिए आम जनता को जागरूक होना ।
6. सम्मानजनक स्थिति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य करना।
7. कानून व्यवस्था को मज़बूत बनाने में शासन प्रशासन को सहयोग करने के लिए कार्य करना।
8. समाज में अधिक से अधिक दयाभाव को बढ़ाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए आगे से आगे कदम उठाए।

हमारा उद्देश्य:-

1. देश के नागरिकों को एकजुट एवं जागरूक करना।
2. देश के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उनके मान-सम्मान की सुरक्षा करना।
3. देश के नागरिकों को शैक्षिक, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाना।
4. नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना।
5. शासन, प्रशासन एवं पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर भ्रष्टाचार एवं अपराधों को रोकने में उनका सहयोग करना एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना।
6. समस्त जनसाधारण का सामाजिक नैतिक, चारित्रिक व बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में द्वेष प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।
7. भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना।
8. भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महिला हिंसा, बालश्रम, शोषण, अव्यवस्था आदि वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं के

निवारण हेतु सरकारी-अर्द्धसरकारी संस्थाओं के सहयोग से उन्हें दूर करने का प्रयास करना।

9.मानवाधिकारों की जानकारी के लिए आम जनता को जागरूक करने एवं मानवाधिकार संरक्षण के प्रचार-प्रसार हेतु पत्र-पत्रिका का प्रकाशन करना एवं समय-समय पर सेमिनार एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना।

10.शासन-प्रशासन के साथ सहयोग स्थापित कर अपराध व शोषण रोकने का प्रयास करना।

11.भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 का जन-जन में प्रचार-प्रसार करना जिससे आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सके।

12.मानवाधिकार संरक्षण के लिए सम्पूर्ण भारतवर्ष में फुल टाइम /पार्ट टाइम डिप्लोमा /सर्टिफिकेट कोर्स विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा शुरू करना और संगठन के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार अधिकृत सेंटर खोलना एवं देश में चल रहे कोचिंग सेंटरों को भी सम्बद्धता देना । जिससे आम जनता को मानवाधिकार संरक्षण की जानकारी प्राप्त हो सके जिससे समाज के लोग जागरूक हो सके।

13.विश्व मानवाधिकार परिषद् की राष्ट्रीय, ज़ोनल (नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ) प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर टीम गठित करके संचालन करना एवं इसी प्रकार समस्त प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी भी होगी (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ विधि, महिला प्रकोष्ठ, यूथ प्रकोष्ठ, आर0टी0आई0 प्रकोष्ठ ,ओ0बी0सी0 प्रकोष्ठ,एस0सी0/एस0टी0 प्रकोष्ठ,शिक्षक प्रकोष्ठ एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ, मीडिया प्रकोष्ठ,.स्टूडेंट प्रकोष्ठ) आदि का गठन करना।

क्या कहता है मानवाधिकार:

विश्व मानवाधिकार परिषद् का मुख्य उद्देश्य /हमारा लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा करना साथ ही साथ हमारा परम कर्तव्य है । कि दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार न करें जो आपको स्वयं के साथ किया जाना पसन्द न हो।अपने अधिकारों को जानें और दूसरों को भी जागरूक करें। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका निभायें। विश्व मानवाधिकार परिषद् से जुड़कर मानव अधिकार एवं विधिक सहायता केन्द्र प्रारम्भ करें और शोषण, असमानता तथा उत्पीड़न के विरुद्ध सशक्त आवाज़ बनें।याद रखें मानव अधिकार का उल्लंघन न केवल किसी व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इस सम्बन्ध में घोषित चार्टर को विश्व के लगभग सभी देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आम लोगों की जागरूकता के अभाव में मानवाधिकारों की रक्षा का कोई भी प्रयास बेईमानी है।विश्व मानवाधिकार परिषद् विविध सरकारी विभागों, निकायों, विधिव्यक्ताओं, शिक्षाविदों, जागरूक नागरिकों तथा आम लोगों से सामान्जस्य स्थापित कर और उनका

सहयोग लेकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मानवाधिकारों के प्रति यदि आप जागरूक हैं साथ ही उत्साही भी तो हमें बस आपकी प्रतिक्रिया है।

मानवाधिकार हनन के प्रमुख मामले:-

महिला उत्पीड़न, दहेज, दहेज हत्या, दूसरी शादी, श्रमिक शोषण, बाल श्रम, सम्प्रदायिक हिंसा, कैदियों का उत्पीड़न, झूठे मामले, गैर कानूनी कार्य, पुलिस कार्य में विफलता, भुखमरी, एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करना, ठेकेदारी में बेइमानी, बलात्कार, बिना सूचना नौकरी से निकाल देना, फर्जी मुठभेड़, मजदूरी कराकर पैसे न देना।

ऐसे या इस प्रकार के किसी भी मामले की सूचना प्राप्ति पर विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा आगे बढ़कर कदम उठाये जाते हैं। सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों, विभागों व निकायों के संज्ञान में मामले को लाने के साथ ही पीड़ित अथवा पीड़िता को न्यायिक उपचार व क्षतिपूर्ति दिलाना भी हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च है।

सरकार या सरकारी विभागों/अधिकारियों के विरुद्ध जनहित याचिका।

आम जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि सुविधाओं के अभाव जैसे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, परिवहन व्यवस्था, रेलवे, खराब सड़क, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, सरकारी अधिकारियों-विभागों द्वारा लापरवाही, पुलिस हिरासत में मृत्यु, कैदियों की सुरक्षा, जेल सुधार, पुलिस उत्पीड़न, अनुसूचित जाति-जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन, सूचना अधिकार, कानून, मनरेगा, प्रदूषण, कल्याण योजनाओं के क्रियान्वन में लापरवाही, मौलिक अधिकारों का हनन, रैगिंग आदि के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक न्यायिक उपचार पाने का अधिकारी है। यह उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में जनहित याचिका (निःशुल्क एवं सशुल्क) के रूप में भी सम्भव है।

करो स्वीकार : यह है हमारा अधिकार ।

आगे बढ़े। अपने अधिकारों को जानें और आम जनता को जागरूक करे।

केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की अवहेलना।

हमारे आस-पास प्रतिदिन ऐसी घटनायें घटती हैं जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है लेकिन जागरूकता एवं जानकारी के अभाव के कारण लोग मूकदर्शक बने रहते हैं। सरकार की अनेक लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो आम लोगों को है भी नहीं जबकि इसमें से अनेक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पीड़ितों, वंचितों, हरिजनों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष रूप से तैयार तथा क्रियान्वित की गयी हैं।

उदाहरण :-

1. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के पालन के लिए ग्रामीण बैंक से 33 प्रतिशत अनुदान पर ऋण लें।

2. खेतों में फूल-फल औषधि की खेती व बागबानी के लिए 50 से 80 प्रतिशत अनुदान के साथ किसान ऋण प्राप्त करें।

3. मधुमक्खी पालन, मछली पालन सब्जी की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान।

4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5000 रुपये की सहायता राशि।

5. अन्तर्जातीय विवाह करने पर 25000 हजार रुपये की प्रोत्साहन सह सहायता राशि।

6. M.V. ACT की RUN AND GO योजना में धारा 161 के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर 25000 रुपये का मुआवजा।

7. सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, हिमपात, बादल फटने, कीट आक्रमण, वज्रपात, निर्दोष हत्या, पानी में डूबकर मृत्यु, इसके अतिरिक्त, विद्युत दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, भवन दुर्घटना, साम्प्रदायिक हिंसा, चिकित्सा में लापरवाही, रेल दुर्घटना, शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना, जैसी स्थितियों में पीड़ित/पीड़िता व्यक्ति एवं पक्ष, न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति/मुआवजा हिंसा, चुनावी हिंसा, जीव जन्तु तथा कीड़े-मकोड़े के काटने से मृत्यु, गलत प्रश्नपत्र तथा देर से परीक्षा होने की स्थिति में भी बात लागू होती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न एवं उपचार।

अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ खिलाना या पिलाना क्षति पहुँचाना, अपमानित करना, क्षुब्ध करना अनादरसूचक कार्य, अवैध कब्जा बेगार, बलात्कार बन्धुवा मजदूरी, मतदान के अधिकार से वंचित करना, झूठा द्वाेषपूर्ण तथा तंग करने वाले मामले में झूठी गवाही, सरकारी तंत्र के हाथों उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता, हत्या, मृत्यु, नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, घर जला देना, जैसे मामलों पर सरकार, जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से 25000 रुपये से 2 लाख रुपये तक पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देती है। अनुसूचित जाति/जनजाति का मकान जलने पर इंदिरा आवास मिलता है। विश्व मानवाधिकार परिषद ने अब तक पूरे देश में अनेक मामलों को संज्ञान में लेकर प्रभावी कदम उठाये हैं जिसका सीधा लाभ पीड़ित पक्ष को मिला है। यदि आपको न्यायिक सहायता अथवा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो आपका स्वागत है। इसके साथ ही विधिक सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के जैसे अनेक निर्णयों की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर बनें। सम्भव है कि उनमें से कोई, आपके संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो। इसके साथ ही, यदि मानवाधिकारों के प्रति आपमें श्रद्धा है और आप जागरूक बनकर न

केवल समाज को दिशा देना चाहते हैं बल्कि अपने कैरियर को भी एक नयी ऊँचाई देना चाहते हैं तो साथ आर्ये। शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और अधिवक्तागण भी इस सन्दर्भ में सम्पर्क करें।

विश्व मानवाधिकार परिषद जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी ।

अपना अधिकार जानें और आम जनता को जागरूक करें।

एक का अधिकार, दूसरे का कर्तव्य है।

भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य ।

भारत के मूल अधिकार, एवं मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 14

भारत के संविधान की प्रस्तावना - भारत के मौलिक और सर्वोच्च कानून

मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य[1] भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।[note 1] इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।

मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित ये अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशानिदेश हैं। संविधान के भाग IV में वर्णित ये प्रावधान अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों पर ये आधारित हैं, वे शासन के लिए मौलिक दिशानिदेश हैं जिनको राज्य द्वारा कानून तैयार करने और पारित करने में लागू करने की आशा की जाती है।

मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

इतिहास

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय संविधान सभा।

मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों का मूल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में था, जिसने स्वतंत्र भारत के लक्ष्य के रूप में समाज कल्याण और स्वतंत्रता के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। [2] भारत में संवैधानिक अधिकारों का विकास इंग्लैंड के अधिकार विधेयक, अमेरिका के अधिकार विधेयक तथा फ्रांस द्वारा मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से प्रेरित हुआ। [3] ब्रिटिश शासकों और उनकी भारतीय प्रजा के बीच भेदभाव का अंत करने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी (INC)) के एक उद्देश्य के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की मांग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आईएनसी (INC) द्वारा 1917 से 1919 के बीच अपनाए गए संकल्पों में इस मांग का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। [4] इन संकल्पों में व्यक्त की गई मांगों में भारतीयों को कानूनी रूप से बराबरी का अधिकार, बोलने का अधिकार, मुकदमों की सुनवाई करने वाली जूरी में कम से कम आधे भारतीय रखने, राजनैतिक शक्ति तथा ब्रिटिश नागरिकों के समान हथियार रखने का अधिकार देना शामिल था। [5]

प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों, 1919 के असंतोषजनक मॉटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों सुधार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एम.के.गांधी उभरते प्रभाव के कारण नागरिक अधिकारों के लिए मांगें तय करने के संबंध में उनके नेताओं के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उनका ध्यान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समानता का अधिकार मांगने से हट कर सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया। [6] 1925 में एनी बीसेंट द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में सात मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग की गई थी - व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, लिंग के आधार पर भेद-भाव न करने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की स्वतंत्रता। [7] 1927 में, कांग्रेस ने उत्पीड़न के खिलाफ निगरानी प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा के आधार पर, भारत के लिए स्वराज संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का संकल्प लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की गारंटी सहित अनेक सिफारिशें की थीं। ये अधिकार अमेरिकी संविधान और युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनाए गए अधिकारों से मिलते थे तथा उनमें से कई 1925 के विधेयक से अपनाए गए थे। इन प्रावधानों को बाद में मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों सहित भारत के संविधान के विभिन्न भागों में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया था। [8]

1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में शोषण का अंत करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और भूमि सुधार लागू करने के घोषित उद्देश्यों के साथ स्वयं को नागरिक अधिकारों तथा आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रति समर्पित करने का एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में प्रस्तावित अन्य नए अधिकारों में राज्य के स्वामित्व का निषेध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,

मृत्युदंड का उन्मूलन तथा आवागमन की स्वतंत्रता शामिल थे। [9] जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए संकल्प के मसौदे, जो बाद में कई निदेशक सिद्धांतों का आधार बना, में सामाजिक सुधार लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन पर समाजवाद तथा गांधी दर्शन के बढ़ते प्रभाव के चिह्न दिखाई देने लगे थे। [10] स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में 1930 के दशक के समाजवादी सिद्धांतों की पुनरावृत्ति दिखाई देने के साथ ही मुख्य ध्यान का केंद्र अल्पसंख्यक अधिकार - जो उस समय तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था - बन गए जिन्हें 1945 में तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर देने के अलावा "विधायिकाओं, सरकार और अदालतों के लिए ऐचरण के मानक" निर्धारित करने की भी मांग की गई थी। [11]

ब्रिटिश राज/अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा (प्रारूप) तैयार किया। [12] ब्रिटिश प्रांतों तथा राजसी रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया। [13] कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी.कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया। [14] उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 में अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। [15] मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों [16] के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था। [17] निदेशक सिद्धांतों का मसौदा, जिसे भी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति द्वारा ही तैयार किया गया था, में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी उपदेशों का समावेश किया गया था और वह आयरिश संविधान में विद्यमान ऐसे ही सिद्धांतों से प्रेरित था। [18] मौलिक कर्तव्य बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। [19]

मूल अधिकार

मुख्य लेख: भारत के नागरिकों का मूल अधिकार

संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित

करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं।[20] संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।[21] हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।[22][note 2]

मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है।[23] वे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैं।[note 3] और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें।[24] ये अधिकार राज्य, जिसमें अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार न केवल संघीय एवं राज्य सरकारों की विधायिका एवं कार्यपालिका स्क्ंधों बल्कि स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्य करने वाली या सरकारी प्रकृति की अन्य एजेंसियों व संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रवर्तनीय हैं।[25] हालांकि, कुछ अधिकार - जैसे कि अनुच्छेद 15, 17, 18, 23, 24 में - निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।[26] इसके अलावा, कुछ मूल अधिकार - जो अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 में उपलब्ध हैं, उन सहित - भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रियता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, जबकि अन्य - जैसे जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के अंतर्गत उपलब्ध हैं - केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं।[27][28]

मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं।[25] 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में।[note 4] सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन।[29] मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है।[30] आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है।[31] आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है।[32] संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है।[33]

समानता का अधिकार

समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं,[34] तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं।[35] अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है।[note 5] इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार।[36] उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है।[37]

अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है।[38] हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।[39] अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।[40]

अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।[35] अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, भारत रत्न पुरस्कारों जैसे, भारतरत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है कि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण हैं और प्रप्तकर्ता द्वारा पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।[41][42]

स्वतंत्रता का अधिकार:-

संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।[43] इनमें शामिल हैं (19 अ) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (19 ब) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता , भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, जिन्हें राज्य द्वारा उन पर लागू किया जा सकता है। किस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है, इसके आधार पर प्रतिबंधों को लागू करने के आधार बदलते रहते हैं, इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है।[44]

अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है।[45] इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए।[46] संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को शामिल कर लिया।[47] परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21, यह जापान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, [note 6] के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए, [48] और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा।[49] इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं।[50] इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित

अधिकार। [51] प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए में मूल अधिकार बनाया गया है।[52]

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है।[53] अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार।[54] संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है।[55] निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशयवाद तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनिच्छा के साथ अनुमोदन किया था।[56] अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी।[57]

शोषण के खिलाफ अधिकार:-

राइट्स के अंतर्गत शोषण के खिलाफ बाल श्रम और भिक्षुक निषिद्ध हो गए।

शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में निहित हैं, इनमें राज्य या व्यक्तियों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।[58] अनुच्छेद 23 के प्रावधान के अनुसार मानव तस्करी को प्रतिबन्धित है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है, साथ ही बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर करना जहां कानूनन काम न करने के लिए या पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए हकदार है, भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित, अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है।[59][60] बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, को इस अनुच्छेद में प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।[61] अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जिसमें उन्मूलन के लिए नियम प्रदान करने और बाल श्रमिक को रोजगार देने पर दंड के तथा पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं।[62]

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र है

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, यहां कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए।[63] अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा राज्य की सामाजिक कल्याण और सुधार के उपाय करने की शक्ति के अधीन होते हैं।[64] हालांकि, प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है।[65] अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये प्रावधान राज्य की धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को कम नहीं करते।[66] राज्य को धार्मिक अनुसरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है।[63] अनुच्छेद 27 की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।[67] अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है तथा राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं, अपने किसी सदस्य को उनकी (या उनके अभिभावकों की) स्वाकृति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।[63]

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, उन्हें अपनी विरासत का संरक्षण करने और उसे भेदभाव से बचाने के लिए सक्षम बनाते हुए सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उपाय हैं।[68] अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है, इस प्रकार राज्य को उन पर किसी बाह्य संस्कृति को थोपने से रोकता है।[68][69] यह राज्य द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं को, प्रवेश देते समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से भी रोकता है। हालांकि, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा उचित संख्या में सीटों के आरक्षण तथा साथ ही एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था में उस समुदाय से संबंधित नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत तक सीटों के आरक्षण के अधीन है।[70]

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य को, वित्तीय सहायता देते समय किसी भी संस्था के साथ इस आधार पर कि उसे एक धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जा रहा है, भेदभाव करने से रोकता है।[69] हालांकि शब्द "अल्पसंख्यक" को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है कोई भी समुदाय जिसके सदस्यों की संख्या, जिस राज्य में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार चाहिए, उस राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम हो। इस अधिकार का दावा करने के लिए, यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्था को किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही स्थापित की गई शैक्षिक संस्था स्वयं को केवल संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म या भाषा के शिक्षण तक सीमित नहीं रखती, या उस संस्था के अधिसंख्य छात्र संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं।[71] यह अधिकार शैक्षिक मानकों, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, शुल्क संरचना और दी गई सहायता के उपयोग के संबंध में उचित विनियमन लागू करने की राज्य की शक्ति के अधीन है।[72]

संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है।[73] अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है।[74] सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा प्रादेश (रिट, writ) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 - जो एक मैलिक अधिकार नहीं है - मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार प्रादेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है।[75] निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।[73] अनुच्छेद 359 के प्रावधानों जबकि आपातकाल लागू हो, को छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।[74]

भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य ।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कोई भी अनादर कार्य गैर कानूनी है।

नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें

संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे।[19][99] मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है।[52] अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का समेमान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं।[100] नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।[99][101] ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है।[99]

हमारी माँगें:-

1. माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही मानवाधिकार को एक पृथक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।
2. सभी लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाये।
3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की तरह विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं को पेंशन देने के लिए न केवल प्रभावी योजना बनायी जाये बल्कि, उसे सही तरीके से कार्यान्वित भी किया जाये।
4. प्रतिष्ठित एवं निजी अस्पतालों में गरीबों को स्थान देते हुए उनकी चिकित्सा की सुनिश्चित व्यवस्था की जाये।
5. प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें स्थान दिया जाये।
6. महिला उत्पीड़न, दहेज आदि मामलों में सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो।

बेरोजगारी तथा गरीबी,

अनेकानेक अपराधों की जड़ में कहीं-न-कहीं मौजूद है।

आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, लोगों की गरीबी दूर करें।

अपनी गरीबी दूर करें।

स्वयं को रोजगार दें... लोगों को रोजगार दें।

यही समयानुकूल तथा सही कदम है।

करो स्वीकार : यह है हमारा अधिकार।

विश्व मानवाधिकार परिषद में आपका स्वागत है:-

आपको जानकर खुशी होगी कि विश्व मानवाधिकार परिषद की टीम लगातार समाज से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करेगी जिसमें प्रमुख हैं

1. सामाजिक बुराईयों के खिलाफ पहल करना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना तथा पीड़ितों को बुराईयों से निज़ात दिलाना।

2. बाल व बन्धुआ मज़दूरी के अत्याचार से मुक्ति दिलाना।

3. बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों की रक्षा के लिये काम करना।

4. समाज के लिए योगदान करने वाली हस्तियों को समय-समय पर सम्मानित करके उनका सम्मान करना।

5. समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

6. जनता तथा पुलिस के बीच में सहयोग का पुल बनाना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाना।

7. भ्रूण हत्या पर हर सम्भव रोक लगाना व उनके खिलाफ आवाज़ उठाना।

8. हर वर्ग के कमज़ोर व्यक्तियों को समाज में न्याय दिलाना।

9. समाज के सभी गरीब बच्चों महिलाओं बुजुर्गों व विकलांग व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जाँच कैंम्प लगाना और दवाइयाँ उपलब्ध कराना।

10. विश्व मानवाधिकार परिषद की समाज के हर व्यक्ति से अपील है कि आइये हम सब मिलकर समाज सेवा का हिस्सा बनें और समाज को अपराधमुक्त बनाने में सहयोग करें।

11. विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन की टीम आम जनता की हर समय निःस्वार्थ भाव से सेवा में तत्पर है और आम जनता के सहयोग के साथ काम करेंगे।

12. विश्व मानवाधिकार परिषद का हर सम्भव प्रयास रहेगा कि हर वर्ग समाज में व्याप्त भय एवं भूख से मुक्त होकर सुख शान्ति और सम्मान के साथ जीवन बिता सके यही मानवाधिकार है।

विश्व मानवाधिकार परिषद एक परिचय :-

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक ट्रस्ट है जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक गैर-सरकारी, गैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना और आम जनता के अधिकारों के हो रहे हनन और समाज फैले भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए शासन प्रशासन को अवगत करना मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार की घटनाएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं जिसमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बाल श्रम जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थित दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद जैसी समस्याएँ दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। आज़ादी के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी अधिकांश भारतवासी बेहतर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शुद्ध पेयजल, न्याय, समानता और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे संविधान में जाति, धर्म, वंश मूल, लिंग, अमीरी, गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। संविधान में देश के प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक एवं प्रकृतिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही साथ गरिमामय जीवन यापन करने की भावना निहित की गयी है। इसको व्यवहारिक रूप से लाने के लिए संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। परन्तु विडम्बना यह है कि इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सका है? गाँव मोहल्लों में सफाई नहीं होती, राशन की दुकान में सामान सही से नहीं मिलता, सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता, अस्पतालों में दवाईयां नहीं मिलती, डाक्टर नर्स मरीजों पर ध्यान नहीं देते, सड़कें टूटी फूटी हैं, ग्राम-स्तर के अधिकारी से लेकर राजनेता सांसद, विधायक, मंत्री तक ध्यान नहीं देते, गाँवों एवं पिछड़े इलाकों में बिजली ठीक से नहीं मिलती। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का गठन किया गया। हमारा कार्य लोगों को जागरूक करना है। हम किसी भी सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं करते हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को संगठन की ओर से चन्दा इकट्ठा करने को अधिकृत नहीं किया है क्योंकि संगठन किसी भी प्रकार का चन्दा नहीं लेता है। संगठन अपने सदस्यों के सहयोग से अपनी गतिविधियां संचालित करता है। अगर आप अपना कार्य किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे कार्यालय भेज रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि वह व्यक्ति आपका विश्वस्त हो। किसी भी तरह की जानकारी के लिए संगठन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें जो आपकी निःस्वार्थ भाव से आपकी पूरी मदद करेंगे जिससे आपकी आवाज को हम अपने संगठन के माध्यम से शासन- प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके मानव सेवा ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है।

मानव अधिकार एवं गैर-सरकारी संगठन:-

गैर-सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को यह कहा जाता है कि जो बिना लाभ के धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोक कल्याणकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में न तो कोई अन्तर-सरकारी करार होता है और न ही ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव 288 x फरवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था जिसने परिभाषित किया कि गैर-सरकारी संगठन का अर्थ है कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अन्तर-सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। विस्तृत अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे बिना लाभ के संगठन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो कि सरकार से स्वतंत्र हो। ऐसे संगठनों के उदाहरण हैं अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स, अन्तर-संसदीय संघ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और महिला अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिषद। गैर-सरकारी संगठन या तो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित व्यक्तिगत संगठनों की सदस्यता राष्ट्रीय स्तर पर होती है तथा वे अपने उद्देश्यों को अपने संविधान में परिभाषित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों की सदस्यता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है एवं उनकी गतिविधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संपादित होती हैं। उन्हें लोक अभिरुचि समूह के सदस्य समझा जाता है जिसका तात्पर्य है कि उनकी कार्यप्रणाली का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने सदस्यों के हित के लिये कार्य करेंगे वरन् वे लोकहित के कार्य करेंगे।

मानव अधिकार एवं गैर-सरकारी संगठन:-

गैर-सरकारी संगठन लगभग सभी राज्यों में स्थापित हैं। 1994 में यह आँकलित किया गया कि यूनाइटेड किंगडम में गैर-सरकारी संगठनों संख्या 275000 थी एवं गरीब देशों में इनकी अनुमानित संख्या 20000 है। तब से इनकी संख्या त्वरित गति से बढ़ रही है। यह अनुमानित किया गया कि 1999 में इनकी संख्या विश्व में 20 लाख थी। केवल भारत में यह अनुमानित किया गया कि उनकी संख्या 10 लाख है जो लगभग सम्पूर्ण विश्व के गैर-सरकारी संगठनों की संख्या से आधी है। बहुत से गैर-सरकारी संगठन मानव अधिकारों के अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए स्थापित किये गये हैं। उनकी गतिविधियाँ एवं सदस्यता मुख्यतः एक ही राज्य के दायरे में होती है किन्तु कुछ मानव अधिकार से सम्बन्धित संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किये गये हैं और उनकी सदस्यता भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। ऐसा समूहों के उदाहरण हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन एण्टी स्लेवरी सोसाइटी लंदन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स जेनेवा, इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स अमेरिका, इंटरनेशनल पेन और फ्रेंच लीग फॉर द डिफेन्स ऑफ द राइट ऑफ मैन एण्ड ऑफ द सिटिज़न पेरिस, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों का न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विशेष सलाहकारी स्तर का सम्बन्ध होता है बल्कि उनकी सीधी पहुँच संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग, इसके अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं भेदभाव निरोधक उप-आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को तक होती है।

भारतवर्ष में मानवाधिकार:-

भारत एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा से ही अमन पसंद और शांति का पुजारी रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सक्रिय सदस्य रहा है। इसी आधार पर भारत के संविधान में उन सभी विचारों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों एवं शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है जिनका संगठन मानवाधिकारों यू.एन. चार्टर में है। हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार की घोषणा करता है और भाग 4 अनु. 36-51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। परन्तु भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 46 वर्षों बाद तक जन प्रतिनिधियों एवं इनके सलाहकार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान मानव संरक्षण कानून बनाने जैसे आम मुद्दों की तरफ नहीं गया। वर्ष 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमारी गणतन्त्र सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा 1993 में किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही वर्ष 1994 में एक अधिनियम पारित कर राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन और उल्लंघन के मामलों की जांच स्वयं या किसी के द्वारा शिकायत किये जाने पर करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत है। देश के कुछ राज्यों में इनका गठन पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नयी दिल्ली में है। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है तथा अन्य सदस्य होते हैं। मानवाधिकार का हनन मानव द्वारा ही किया जाता है चाहे वह व्यक्ति दबंग हो या सरकारी लोकसेवक। इसमें विभाग या कुर्सी से कोई मतलब नहीं होता। उत्पीड़नकर्ता चाहे कितनी ही उच्च या सशक्त पद पर हो परिवार में उसकी हैसियत पर साधारण अभियुक्त जैसी ही होती है तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस समय उसे मानव उत्पीड़न का एहसास हो जाता है।

सदस्यों के लिए नियम एवं उपनियम:-

1. विश्व मानवाधिकार परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी संगठन में स्वयंसेवी के रूप में कार्य करेंगे इसके लिये किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं है।
2. सदस्यता अहस्तानांतरणीय है। सदस्यता शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।
3. पहचान पत्र की वैधता समाप्त होने पर उसे मुख्य कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वैधता समाप्त होने पर पहचान पत्र का नवीनीकरण सदस्यता जारी रखने कि लिए अनिवार्य है।
4. सभी सदस्यों को अपने सम्बन्धित मुख्यालय में अपने सम्बन्धित पदाधिकारियों से माह में एक बार मिलना अनिवार्य है।
5. संगठन की नीति के विरुद्ध कार्य करने पर सम्बन्धित कार्यकर्ता पदाधिकारी को संगठन ही

सदस्यता से निलम्बित किया जा सकता है।

6. किसी भी प्रकार की शंका सवाल या जानकारी के लिए विश्व मानवाधिकार परिषद के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

7. विश्व मानवाधिकार परिषद के घोषित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने कि लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय के साथ-साथ राज्य, मंडल, जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाये जिससे समाज का कोई भी इंसान अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने से वंचित न रहे।

सदस्यता के लिये नियम:-

1. मैं स्वेच्छापूर्वक विश्व मानवाधिकार परिषद के उन सभी नियमों को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ जो व्यक्तियों के नागरिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

2. मैं उन सभी शक्तियों का विरोध करूंगा/करूंगी जो किसी भी व्यक्ति का गैरकानूनी प्रकार से उत्पीड़न करते हैं।

3. मैं विश्व मानवाधिकार परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति एवं मानव अधिकार के संरक्षण हेतु निःस्वार्थ कार्य करूंगा/करूंगी।

4. मैं अपने कार्यों में पारदर्शिता तथा विश्व मानवाधिकार परिषद के लिए उत्तरदायी होने का पूर्ण निर्वाह करूंगा/करूंगी।

5. मैं समाज के अवांछनीय, असामाजिक तथा अपराधिक मामलों पर ध्यान दिया करूंगा/करूंगी।

6. मैं विश्व मानवाधिकार परिषद के कार्यों और बैठकों में हिस्सा लूंगा/लूंगी तथा दिये गये कार्यभार एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संविधान-सम्मत रूप से दिये गये कार्यों को स्वीकार करूंगा/करूंगी।

7. मैं विश्व मानवाधिकार परिषद के उद्देश्यों के विपरीत कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मैं उद्देश्यों की अवहेलना करता पाया जाऊँ तो मेरी सदस्यता बिना कोई सूचना दिये तुरन्त समाप्त कर दी जाए।

8. विश्व मानवाधिकार परिषद की सदस्यता प्राप्त कर मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होना चाहता हूँ/चाहती हूँ जिन्हें आपके सम्मानीय विश्व मानवाधिकार परिषद के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है।

VISHWA MANAVADHIKAR PARISHAD(WHRC)